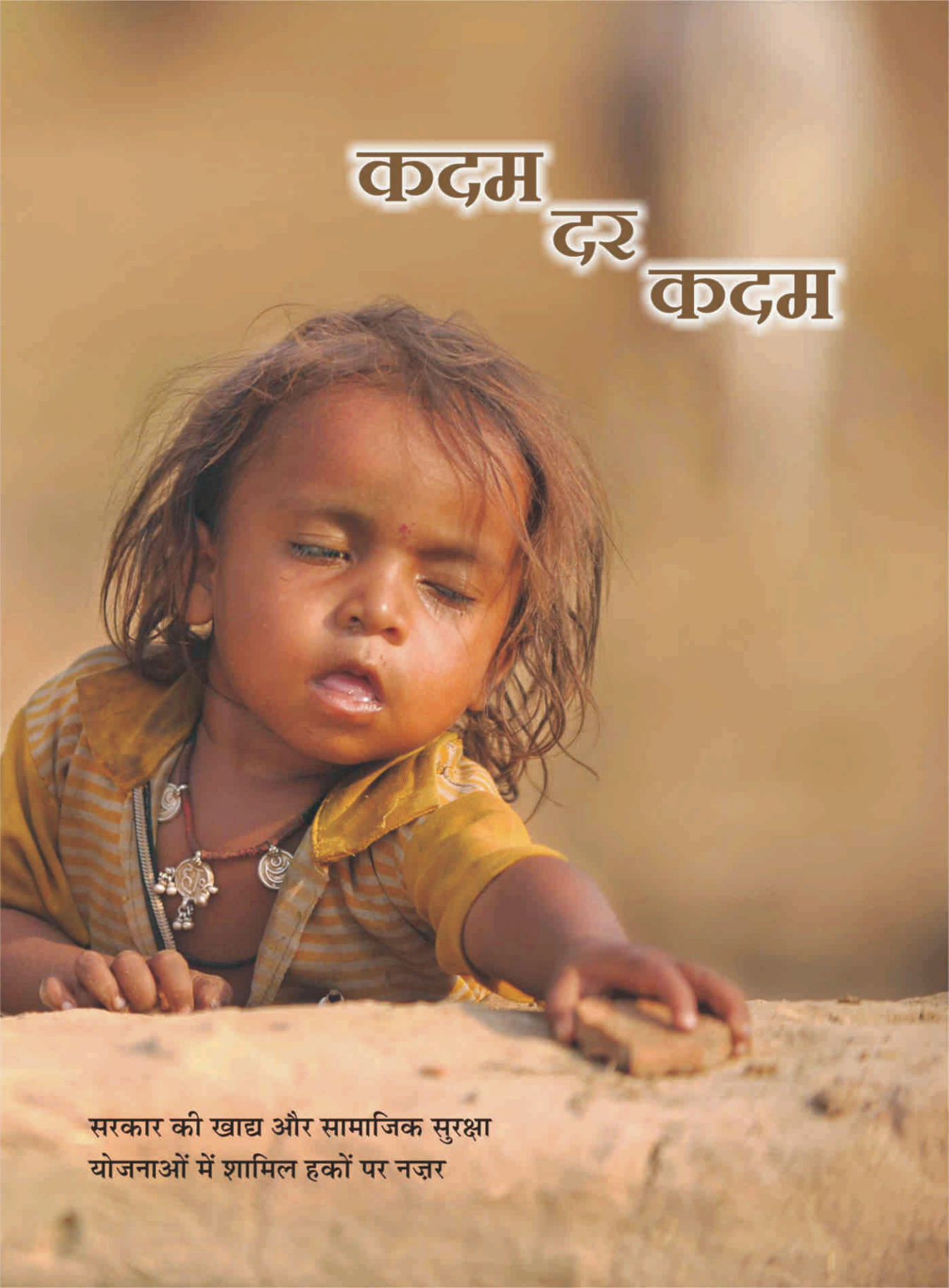

कदम दर कदम

सरकार की खाद्य और सामाजिक सुरक्षा
योजनाओं में शामिल हकों पर नज़र

शीर्षक	:	कदम दर कदम (सरकार की खाद्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल हकों पर नजर)
प्रकाशक	:	विकास संवाद, ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्पलेक्स के सामने, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल, (मध्यप्रदेश) - 462016
फोन	:	0755 - 4252789
ईमेल	:	vikassamvad@gmail.com
वेबसाईट	:	www.mediaforrights.org
संस्करण	:	द्वितीय/नवम्बर 2010
प्रतियां	:	2000
लेखन, संकलन एवं प्रस्तुति	:	रोली शिवहरे, सचिन कुमार जैन एवं प्रशांत दुबे
आवरण फोटो	:	बीजो फ्रांसिस
आवरण आकल्पन	:	अमित सक्सेना
मुद्रक	:	एमएसपी ऑफसेट, भोपाल

विशेष – इस पुस्तक में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही नौ जनकल्याणकारी खाद्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में तीन पक्षों में जानकारी दी गई है-पहला पक्ष योजनाओं के प्रावधानों का है, दूसरे पक्ष में उस योजना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लेख है जबकि तीसरे पक्ष में हम जमीनी स्तर पर किन बिंदुओं पर खास तौर पर नजर डालें, ऐसे कुछ बिंदु दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश मूलत: काफी विस्तार से और अंग्रेजी में हैं, जबकि सफलता के नजरिए से हमने उन आदेशों में से कुछ बिंदुओं को छांट कर हिंदी में प्रस्तुत किया है। यदि इन आदेशों के संबंध में कोई भी संशय, अस्पष्टता अथवा विवाद की स्थिति आती है तो न्यायालय के मूल आदेशों का संदर्भ लिया जाये।

आभार – हम उल्लेख करते हैं भोजन के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्तों के कार्यालय, जमीनी स्तर पर काम करके, जनसंघर्ष को चैतन्य बनाने वाली संस्थाओं-संगठनों-व्यक्तियों, खास तौर पर रोजी-रोटी अधिकार अभियान के सहयोग का।

इस किताब को मूल रूप प्रदान करने में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास अभियान, चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राय), सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एवं टी डी एच ने सहयोग प्रदान किया है।

कदम दर कदम

सरकार की खाद्य और सामाजिक सुरक्षा
योजनाओं में शामिल हकों पर नज़र

अनुक्रमणिका

विषय सूची	पृष्ठ क्रमांक
पहला हिस्सा	
रोटी का हक मतलब जीवन का संघर्ष	01
दूसरा हिस्सा	
जनकल्याणकारी खाद्य सुरक्षा योजनायें	03
1. एकीकृत बाल विकास योजना	03
2. मध्यान्ह भोजन योजना	13
3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	17
4. अंत्योदय अन्न योजना	20
5. राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना / जननी सुरक्षा योजना	23
6. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	26
7. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	27
8. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून	29
9. शहरी बेघरबारों के संबंध में	32
तीसरा हिस्सा	
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और राज्य की संवैधानिक जवाबदेहिता - नीति बनाम अधिकार	35
चौथा हिस्सा	
संघर्ष की प्रक्रिया	41
पाँचवा हिस्सा	
संघर्ष की प्रक्रिया का एक कार्यक्रम	49
प्रमुख सम्पर्क	54

पहला हिस्सा

रोटी का हक मतलब जीवन का संघर्ष

वर्ष 2001 में भारत में एक ओर देश में सरकार के गोदामों में अनाज का भंडार था, वहीं दूसरी ओर सूखाग्रस्त तथा अन्य इलाकों में भूख से मौत के किस्से सामने आ रहे थे। इसी स्थिति के आधार पर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल) राजस्थान ने रोटी के हक को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। शुरूआत में यह जनहित याचिका सिर्फ सूखाग्रस्त इलाकों तक ही सीमित थी परंतु बाद में इसमें देश के सभी राज्यों को शामिल किया गया। यह याचिका भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के विरुद्ध दायर की गयी है। इस याचिका का क्र. 196 / 2001 है।

पी.यू.सी.एल द्वारा दायर की गई इस याचिका का आधार, संविधान का अनुच्छेद 21 है जो व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, यह एक मौलिक अधिकार है। सरकार का कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जीवन जीने के अधिकार को परिभाषित किया है। इसमें इज्जत से जीवन जीने का अधिकार और रोटी के अधिकार आदि शामिल हैं।

इस याचिका में नीति तथा कार्यान्वयन, दोनों स्तर पर राहत की स्थिति के प्रति केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया इस अधिकार का उल्लंघन है। इस याचिका में सरकारी और जमीनी स्तर के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ठोस रूप से बढ़ती हुई भूख और बुनियादी अधिकारों के उल्लघंन के मामले में भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, गैर जवाबदेहिता और राज्य की उदासीनता की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविकता को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है।

समाज के वंचित वर्गों और गरीबो को जीवन का मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जिसकी वजह से उनके जीवन में खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो गया है। खाद्य सुरक्षा व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों से जुड़ी हुयी है। अपने जीवन के लिए हर किसी को निर्धारित पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन की जरूरत होती है और यह भोजन की जरूरत समय पर पूरी हो यह जरूरी है। इसका एक पक्ष यह भी है कि आने वाले समय की अनिश्चितता को देखते हुये हमारे अनाज भण्डारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज सुरक्षित हो जो और जिसे जरूरत पड़ने पर तत्काल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाये। व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा के नजरिये से अनाज आपूर्ति की सुनियोजित व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे यदि समाज की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी तो लोग अन्य रचनात्मक प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका निभा पायेंगें। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार का दायित्व है कि बेहतर उत्पादन का वातावरण बनायें और खाद्यान्न के बाजार मूल्यों को समुदाय के हितों के अनुरूप बनायें रखें।

भोजन का अधिकार अभियान पिछले 9 वर्षों से पूरे देश में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यह अभियान नतीजा है पी.यू.सी.एल राजस्थान द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका का। यह राष्ट्रीय अभियान उन संगठनों और व्यक्तियों का एक अनौपचारिक ताना बाना है जो भारत में भोजन के अधिकार को बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अभियान का मानना है व्यक्ति को भूख और कुपोषण से मुक्ति का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को हासिल करने के लिए न केवल समतामूलक और टिकाऊ खाद्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। बल्कि आजीविका की सुरक्षा से संबंधित हकदारियां देना भी जरूरी है– जैसे रोजगार का अधिकार, भूमि सुधार और सामाजिक सुरक्षा। हमारा मानना है कि इन हकदारियों को बहाल करने की अव्वल जिम्मेदारी राज्य की है। इस याचिका की सुनवाई नियमित अंतरालों पर होती आ रही है और इस याचिका पर समय–समय पर महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए जा रहे हैं अभी तक इस केस में 50 से ज्यादा अंतरिम आदेश आ चुके हैं।

देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका में 9 खाद्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में आदेश जारी किए हैं, यह योजनाएं इस प्रकार हैं–

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
2. अंत्योदय अन्न योजना
3. मध्यान्ह भोजन योजना
4. समेकित बाल विकास योजना
5. राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना / जननी सुरक्षा योजना
6. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
7. अन्नपूर्णा योजना
8. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
9. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

बाद में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना बंद कर दी गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के बदले रोजगार गारंटी योजना शुरू कर दी गयी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपने दो आयुक्त नियुक्त (डॉ. एन सी. सक्सेना और हर्ष मन्दर) किए जो कि इन योजनाओं की निगरानी करते हैं। इन योजनाओं की निगरानी के लिए देश के हर राज्य में सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। यह सलाहकार आयुक्त, राज्य सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं।

अदालत की चिन्ता यह देखना है कि गरीब लोग, दरिद्रजन तथा समाज के कमजोर वर्ग भूख और भुखमरी से पीड़ित न हों । इसे रोकना सरकार का एक प्रमुख दायित्व है, चाहे वह केन्द्र हो या राज्य । इसे सुनिश्चित करना नीति का विषय है, जिसे सरकार पर छोड़ दिया जाये तो बेहतर। अदालत को बस इससे संतुष्ट होना चाहिए और इसे सुनिश्चित भी करना पड़ सकता है कि जो अन्न भण्डारों में, खासकर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में, भरा पड़ा है, वह समुद्र में डुबो कर या चूहों द्वारा खाया जाकर बर्बाद न किया जाये।

– 23 जुलाई, 2001 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

दूसरा हिस्सा

जनकल्याणकारी खाद्य सुरक्षा योजनायें

1. एकीकृत बाल विकास योजना

1.1 मूल बातें

- देश की जनसंख्या में 16 प्रतिशत हिस्सा छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों का होता है और इन बच्चों के विकास और पोषण के लिए संचालित होने वाली यह एक मात्र योजना है।
- **किसके लिये है यह योजना** – छः वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे, हर गर्भवती हर धात्री महिला और हर किशोरी बालिका के लिये।
- **क्या है यह योजना** – यह योजना 1975 में शुरू की गई जिसमें बच्चों को विभिन्न लाभ एकीकृत ढंग से मिल सकें। सभी योजनाओं का माध्यम आंगनवाड़ी केन्द्र होगा। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं
  1. छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना।
  2. बच्चों के सही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की ठोस नींव डालना।
  3. बच्चों की मौतों, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की परिस्थितियों को बदलना।
  4. बच्चों के विकास के लिए कार्यरत विभिन्न विभागों के बीच नीतियों एवं क्रियान्वयन के स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
  5. स्वयं की एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास सम्बन्धी जरूरतों के मद्देनजर सामुदायिक शिक्षा के जरिये महिलाओं की क्षमता का विकास करना।
- इस योजना में 6 साल तक के बच्चों को पोषण आहार, स्वास्थ्य सुविधा और पढ़ाई व गर्भवती–धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण आहार उपलब्ध करवाया जाएगा।
- 6 साल तक के सामान्य बच्चों को प्रतिदिन 500 कैलोरी और 12–15 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन दिया जायेगा। यह मापदंड नये नियम के अनुसार है। पुराने नियम में यह 300 कैलोरी और 8–10 ग्राम प्रोटीन था।
- नये नियमों के अनुसार गर्भवती और धात्री (बच्चे को दूध पिलाने वाली) माताओं को प्रतिदिन 600 कैलोरी और 18–20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन दिया जायेगा। पुराने नियमों में 500 कैलोरी एवं 20–25 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन की बात कही गयी थी।
- नये नियमों के अनुसार कुपोषित बच्चों को 800 कैलोरी व 20–25 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन दिया जायेगा। पुराने नियमों में 600 कैलोरी व 16–20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन की बात कही गयी थी।

- योजना की सुविधाएं पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सुविधाएं और अनौपचारिक शिक्षा आदि।
- अब देश के हर गांव, झुग्गी बस्ती और बसाहट में एक आंगनवाड़ी केन्द्र होना अनिवार्य है।
- गांव में आंगनवाड़ी खोलने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बसाहटों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- इस योजना में गरीबी की रेखा या अन्य किसी भी मापदण्ड का पालन नहीं किया जायेगा बल्कि हर बच्चा, हर गर्भवती–धात्री महिला और हर किशोरी बालिका आंगनवाड़ी की सेवाएं प्राप्त करने की हकदार है।
- वर्तमान में सरकार द्वारा सबला योजना शुरु की गयी है। जिसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की हर किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण आहार एवं स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। यह योजना वर्तमान में प्रदेश के 15 जिलों में संचालित की जायेगी।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 18 से 44 वर्ष की उम्र होनी चाहिये। साथ ही कार्यकर्ता जिस गांव में आंगनवाड़ी है उसी गांव की निवासी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के चयन में अनुसूचित जाति और अन्य वंचित समुदाय की महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी (महिला बाल विकास मंत्रालय विभागीय आदेश क्र.–1–13/2010–सीडीआई, अक्तूबर 18, 2010)
- भारत सरकार द्वारा पोषण आहार की राशि में संशोधन किया है जिसके अनुसार –

वर्ग	पुराने मानदण्ड	नये मानदण्ड (16/10/08)
बच्चे (6–72 माह)	2 रुपये	4 रुपये
गंभीर कुपोषित बच्चे (6–72 माह)	2.70 रुपये	6 रुपये
गर्भवती और धात्री महिलाऐं	2.30	5 रुपये

आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए आवश्यक मापदण्ड		
क्र.	क्षेत्र	निर्धारित आवश्यक जनसंख्या
1	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र	400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र
2	आदिवासी क्षेत्र	300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र
3	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र	150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र
4	आदिवासी क्षेत्र/मजरे/टोले	150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र
5	जिन झुग्गी–बस्तियों तथा गांवों में 6 वर्ष से कम उम्र के 40 बच्चे हों और यदि वहां पर कोई आंगनवाड़ी नहीं है तो वहां मांग करने पर तुरन्त, 3 महीने के अन्दर, आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाए। (13 दिसम्बर 2006 का आदेश)	

- आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्नानुसार सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं –

1. **पूरक पोषण आहार** – 6 वर्ष से कम आयु के गरीब बच्चों, गर्भवती व धात्री (दूध पिलाने वाली) माताओं तथा किशोरी बालिकाओं की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वे किया जाता है। वर्ष में कम से कम तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है।

2. **स्वास्थ्य की जाँच** – सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक माह टीकाकरण के दिन ए.एन.एम. तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जाती है। स्वास्थ्य की जाँच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्राहियों को दी जाती है।

3. **संदर्भ सेवाएं** – स्वास्थ्य की जाँच के आधार पर जरूरी होने पर महिलाओं और बच्चों को विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी या जिलास्तरीय चिकित्सालय या पोषण पुनर्वास केन्द्र में भेजा जाता है।

4. **टीकाकरण** – सभी आंगनवाड़ियों में प्रतिमाह सप्ताह में कोई एक दिन टीकाकरण के लिए तय रहता है। उपरोक्त दिनों में ए.एन.एम. द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है तथा उसी समय हितग्राहियों के स्वास्थ्य की जाँच भी की जाती है।

5. **पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा** – आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा ए.एन.एम. द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी घरों में स्वयं जाकर हितग्राहियों के स्वास्थ्य की जाँच एवं उन्हें संतुलित भोजन आदि के बारे में सलाह दी जाती है।

6. **शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा** – आंगनवाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना है जिससे वे प्राथमिक स्कूल में और अच्छी तरह से शिक्षा ले सकें। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा दी जाती है। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे – जल, जंगल, जानवर तथा परिवेश आदि के बारे में प्रारंभिक बातें बतायी जाती हैं।

7. **स्वास्थ्य सेवाएं** – विभाग द्वारा स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवाएँ अलग से नहीं दी जाती हैं बल्कि स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के द्वारा दी जाने वाली 6 सेवाओं में से 4 सेवाएँ स्वास्थ्य विभाग के अमले के सहयोग से दी जाती हैं।

   विभाग द्वारा प्रत्येक आंगनवाडी में प्रति वर्ष एक मेडिसिन किट उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें सामान्य बीमारियों के प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा उक्त दवाइयों का उपयोग एएनएम की मदद एवं मार्गदर्शन से किया जाता है। मेडिसिन किट के लिए प्रति आंगनवाड़ी प्रतिवर्ष रूपये 600/– की राशि का प्रावधान है।

1.2 मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना के सम्बन्ध में आदेश

06 माह से 3 वर्ष के बच्चों / गर्भवती माताओं / धात्री माताओं / किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण आहार

- 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों / गर्भवती माताओं / धात्री माताओं / किशोरी बालिकाओं को घर ले जाने के लिए पोषण आहार दिया जाएगा।
- पोषण आहार एम.पी. एग्रो द्वारा प्रदाय किया जायेगा।
- यह पोषण आहार 5 दिन के लिए पैकेट में हितग्राहियों को हर मंगलवार वितरित किया जायेगा।
- हर मंगलवार को सभी हितग्राहियों को (06 माह से 3 वर्ष के बच्चों / गर्भवती माताओं / धात्री माताओं / किशोरी बालिकाओं / 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों) को आंगनवाडी में गर्म पका हुआ भोजन दिया जायेगा।
- पोषण आहार के रूप में इन्हें गेहूं सोया बर्फी / आटा बेसन लड्डू / हलुआ / विनिग फूड / खिचडी इत्यादि।

3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण आहार

- 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को 'सांझा–चूल्हा' योजना के तहत गर्म पका हुआ भोजन वितरित किया जायेगा।
- यह भोजन स्थानीय स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया जायेगा।
- पोषण आहार हेतु राशि बढ़ने के बाद प्रदेश में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को 2 समय पोषण आहार (नाश्ता / भोजन) प्रदान किया जायेगा।
- 'सांझा–चूल्हा' कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भोजन वितरित करने का काम करेंगी।
- नाश्ते में पौष्टिक खिचड़ी (थुली) / नमकीन / मीठी लप्सी दी जायेगी।
- भोजन में सब्जी–रोटी / खीर–पूड़ी / दाल–रोटी / दाल–चावल दिया जायेगा।

गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 06 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों को 20–25 ग्राम प्रोटीन और 800 कैलॉरी प्रतिदिन प्रति हितग्राही के मान से पोषण आहार उपलब्ध कराना है। जबकि सामान्य बच्चों को 12–15 ग्राम प्रोटीन और 500 कैलॉरी भोजन दिया जाना है। ऐसे में गंभीर बच्चों के लिये मध्यप्रदेश में तीसरे वक्त भोजन की व्यवस्था की गई है। **तीनों वक्त के भोजन में 20–25 ग्राम प्रोटीन और 800 कैलॉरी पोषण होना चाहिये।**

- 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 'टेकहोम' राशन तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को ताजा पका हुआ भोजन प्रथा प्रातः 9 बजे से 10 बजे के मध्य, इसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक और फिर तीसरी बार 2.30 बजे से 3 बजे के बीच दिया जायेगा।
- 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रतिदिन उपस्थित रहकर पोषण आहार प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है किन्तु गंभीर कुपोषित बच्चों को यदि हम 'पोषण पुनर्वास केन्द्र' अथवा आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रशिक्षित व्यक्ति के मार्गदर्शन एवं समक्ष में प्रतिदिन समयबद्ध तरीके से पोषण आहार नहीं देंगे तो बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जाना संभव नहीं है।
- गंभीर कुपोषित बच्चों के तीसरे वक्त के भोजन में चावल, सोया लड्डू/मीठी मठरी/मूंगफली/चना चिक्की दिया जायेगा।

आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन का समय –

- सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक – जिसमें सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बच्चों के पोषण आहार वितरित करना, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, वजन प्रबोधन, स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि सेवायें प्रदान करना। 1 बजे से 2 बजे तक गृह भेंट (गर्भवती महिलाएं/कुपोषित बच्चों के पालकों के साथ) 2 बजे से तीन बजे तक रिकार्ड का रख–रखाव करना।

1.3 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

28 नवंबर 2001 का आदेश

- हम राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि समन्वित शिशु विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) को पूरी तरह क्रियान्वित करें और सुनिश्चित करें कि देश में सभी आई.सी.डी.एस. वितरण केन्द्र निम्नलिखित उपलब्ध करायेंगे (यह मापदंड पुराने हैं, नये मापदण्ड 22 अप्रैल, 2009 के आदेश में दिये गये हैं) :–
  - (क) छः वर्ष तक की उम्र के हर बच्चे को 300 कैलोरी 8–10 ग्राम प्रोटीन
  - (ख) हर किशोरी बालिका को 500 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन
  - (ग) हर गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली मां को 500 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन
  - (घ) हर कुपोषित बच्चे को 600 कैलोरी और 16–20 ग्राम प्रोटीन
  - (ड) राज्य सरकारें/ संघ शासित क्षेत्र सुनिश्चित करेंगे कि हर बस्ती में एक आई.सी.डी.एस. वितरण केन्द्र होगा।

29 अप्रैल 2004 का आदेश

- हमने गौर किया है कि पोषाहार की लागत का मानक 1 रुपए प्रति बालक है जो 1991 में निर्धारित किया गया था। भारत सरकार को इस 1 रुपए के मानक संशोधित करने पर विचार करना चाहिए तथा अपने सुझाव शपथ पत्र में शामिल करने चाहिए।
- देश में कुल छह लाख केंद्र हैं। भारत सरकार के मानकों के अनुसार 1000 की आबादी (आदिवासी क्षेत्रों में 700) पर एक केंद्र है। याचिकाकर्ता के अनुसार इसी मानक के हिसाब से चलें तो देश में कुल 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र होने चाहिए। भारत सरकार के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या 12 लाख ही होगी। हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं वह 3 माह की अवधि में एक शपथ पत्र प्रेषित करे तथा उसमें यह उल्लेख करे कि किस अवधि में वह आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 14 लाख करेगी।
- केन्द्र सरकार अपने शपथ पत्र द्वारा यह सुझाव दे कि वह अपने पोषण आहार के 1 रू. के मानक को कब बदलेगी।
- सभी अनुमोदित आंगनवाड़ी केन्द्रों को यह 30 जून 2004 तक पूरी तरह शुरू करना है। सभी अनुमोदित आंगनवाड़ी केन्द्रों को बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और धात्री माताओं को पोषण आहार/पूरक पोषण आहार वर्ष में 300 दिन देना होगा।
- 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 तक कितने बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और धात्री माताओं को कितने दिन तक पोषण आहार दिया गया इसकी जानकारी 31 जुलाई 2004 तक मुख्य सचिव को देनी होगी।

7 अक्टूबर 2004 का आदेश

- कोशिश करनी चाहिए कि हर दलित/आदिवासी मोहल्ले/आबादी में जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केन्द्र खोली जाएं।
- पूरक पोषण आहार योजना अनुसार दिया जाए और हर टोले में आंगनवाड़ी केन्द्र हो।
- आंगनवाड़ी में पोषण आहार पहुंचाने के लिए ठेकेदार का उपयोग नहीं किया जाये और आंगनवाड़ी कोष के अनाज खरीदने और भोजन के खर्च हेतु गांव के समुदाय, स्वयं सहायता समूहों और मण्डलों को प्राथमिकता दी जाये।
- सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी केन्द्रों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाईट पर देनी है। जिसमें आंगनवाड़ी कहां चल रही है, श्रेणीबद्ध हितग्राहियों की संख्या, आवंटित राशि व खर्च और अन्य सम्बन्धित जानकारी देनी होगी।
- सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना की राशि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर केवल राज्य द्वारा आवंटित राशि के अतिरिक्त, उसके स्थान पर नहीं।

- जहां तक हो सके प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर ही अच्छा खाना मिलना चाहिए।
- सभी राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों को जिस प्रकार केन्द्र सरकार राशि आवंटित करती है उसी प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्रों को 1 रू. प्रति बच्चा प्रतिदिन के आधार पर राशि आवंटित करनी है, हर आंगनवाड़ी को 100 हितग्राहियों को साल में 300 दिन खाना खिलाना है।
- आंगनवाड़ी केन्द्र में भर्ती करने के लिए गरीबी रेखा के मापदण्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- सभी स्वीकृत आंगनवाड़ियों को शुरू करना चाहिए और निर्देशानुसार खाना देना चाहिए। जहां बर्तन न हो वहां बर्तनों की व्यवस्था करनी चाहिए। चालू आंगनवाड़ियों में रिक्त पदों की तुरन्त पूर्ति की जानी चाहिए।
- सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी / प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत पूरी राशि खर्च करनी है। इसे न तो कहीं और मोड़ा जाए और न ही केन्द्र सरकार को वापस किया जाए। वापस करने की स्थिति में खर्च न कर पाने के कारणों का कोर्ट को पूरा ब्यौरा दिया जाए।
- सभी राज्य केन्द्र शासित प्रदेश झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में भी आंगनवाड़ी चालू करने का भरसक प्रयत्न करें।
- केन्द्र व राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित राशि समय से प्रदान की जाए जिससे कि बच्चों को खाना खिलाने में कोई रूकावट न आये।

<u>13 दिसंबर 2006 का आदेश</u>

- सरकार दिसंबर 2008 तक देश में कुल 14 लाख आंगनवाड़ियाँ खोलकर उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे।
- साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि इन आंगनवाड़ियों को खोलने में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये।
- सरकार यह सुनिश्चित करे कि आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए जनसंख्या के मापदण्ड को किसी भी हाल ऊपर न बढ़ाया जाएं। हालांकि सरकार ने नये आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1000 और कम से कम 300 के मानदण्ड रखे हैं। इसके अलावा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नई आंगनवाड़ी खोलने के लिए मांग पर आंगनवाड़ी खोलने का भी प्रावधान रखा जाये। इसमें यदि किसी बसाहट में 40 या उससे अधिक बच्चे हैं और यदि समुदाय मांग करता है तो 3 माह के अंदर सरकार को आंगनवाड़ी अनिवार्य रुप से खोलनी पडेगी।
- सभी 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चे, गर्भवती महिलायें, धात्री महिलायें और किशोरी बालिकाओं को समेकित बाल विकास योजना की सभी सेवायें (पोषण आहार, वृद्धि निगरानी, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, संदर्भ सेवायें, स्कूल पूर्व शिक्षा) प्रदान की जायेगी।

- सभी राज्य के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो निश्चित समय में पोषण आहार का विकेन्द्रीकरण करके उसकी आपूर्ति की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर के समुदाय को दी जाये।

22 अप्रैल 2009 का आदेश

- 1975 से आंगनवाड़ी योजना के तहत तय किये गये पोषण के मापदण्ड में बदलाव नहीं आया था इसमें बदलाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स गठित की गयी थी जिसके सुझावों के अनुसार आंगनवाड़ी योजना के सभी श्रेणियों (6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलायें, धात्री महिलायें) के पोषण आहार में परिवर्तन किया गया है जिसके अनुसार –

क्र.	श्रेणी	पुराने नियम			नये नियम		
		मूल्य रू./ प्रति हितग्राही	कैलॉरी	प्रोटीन (ग्रा.)	मूल्य रू./ प्रति हितग्राही	कैलॉरी	प्रोटीन (ग्रा.)
1	बच्चे (3 वर्ष से कम)	2.00	300	8 से 10	4.00	500	12 से 15
2	बच्चे (3 से 6 वर्ष)	2.00	300	8 से 10	4.00	500	12 से 15
3	गंभीर कुपोषित	2.70	600	16 से 20	6.00	800	20 से 25
4	गर्भवती एवं धात्री महिलायें	2.30	500	20 से 25	5.00	600	18 से 20

- सरकार के निर्देश क्रमांक 5–9/2005/एनडी/टेक(वाल्यूम–2) दिनांक 24/02/2009 के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को 500 कैलॉरी ऊर्जा और 12–15 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्रति बच्चा 'टेक होम राशन' दिया जायेगा।
- 3 से 6 साल के बच्चों को 500 कैलोरी ऊर्जा और 12–15 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्रति बच्चे को गर्म पका हुआ भोजन एवं नाश्ते के रूप में दिया जायेगा।
- गंभीर कुपोषित बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक) सामान्य बच्चों से 300 कैलोरी अधिक (500 कैलोरी के अलावा) ऊर्जा एवं 8 से 10 ग्राम अधिक प्रोटीन (12–15 ग्राम प्रोटीन के अलावा) युक्त भोजन 'टेक होम राशन' में दिया जायेगा।
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 600 कैलॉरी ऊर्जा और 18–20 ग्राम प्रोटीन प्रति हितग्राही प्रतिदिन तक 'टेक होम राशन' के रूप में दिया जायेगा।
- जहां तक किशोरी बालिकाओं के पोषण आहार का सवाल है सरकार किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण कार्यक्रम और किशोरी शक्ति योजना के तहत उन्हें लाभान्वित किया जायेगा।

1.4 यह जरूर जांचे

(एकीकृत बाल विकास योजना)

1. गांव में आंगनवाड़ी भवन है या नहीं?
2. भवन किस अवस्था में है?
3. गांव में आंगनवाड़ी कब शुरू हुई थी?
4. क्या आंगनवाड़ी रोज खुलती है?
5. क्या आंगनवाड़ी में सहायिका एवं कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है?
6. गांव में 0–6 वर्ष के कितने बच्चे, कितनी गर्भवती व धात्री महिलाएँ और किशोरी बालिकाएँ है ?
7. आंगनवाड़ी में कितने बच्चे, महिलाएं व किशोरी बालिकाएँ दर्ज हैं?
8. आंगनवाड़ी में कौन–कौन आता है? बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाएँ और किशोरी बालिकाएँ ?
9. आंगनवाड़ी से क्या बच्चों को नियमित पोषण आहार दिया जाता है ?
10. पोषणाहार साल में कितने दिन दिया जाता है?
11. पोषणाहार कैसे मापते हैं ?
12. पोषणाहार कौन बनाता है ?
13. क्या 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताएं, किशोरी बालिकाओं को घर ले जाने के लिये पोषण आहार दिया जाता है ?
14. क्या 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ पोषण आहार दिया जाता है ?
15. पोषणाहार की गुणवत्ता कैसी है ?
16. क्या कार्यकर्ता व सहायिका भी रोज पोषणाहार खाती हैं?
17. पोषणाहार कितने प्रकार का मिल रहा है? लिखें।
18. क्या गंभीर कुपोषित बच्चों को ज्यादा पोषण आहार दिया जाता है?
19. कुपोषण की जाँच नियमित रूप से की जा रही है या नहीं ?
20. क्या गांव में पिछले 2 वर्षों में किसी बच्चे की मृत्यु हुई है?
21. क्या आंगनवाड़ी में बच्चों की वृद्धी निगरानी लगातार होती है ?
22. कुपोषित बच्चों की देख–भाल किस प्रकार की जा रही है ?

23. कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र ले जाया जा रहा है या नहीं ?
24. जिन बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र ले जाया जा रहा है क्या उन्हें 14 दिन पुनर्वास केन्द्र में रखा जा रहा है? या जरूरत पड़ने पर ठीक होने तक भी वहीं पर रखा जाता है / नहीं।
25. पोषण पुनर्वास केन्द्र से लौटने के बाद क्या बच्चों का फॉलोअप किया जाता है?
26. क्या ए.एन.एम. रोज आती है?
27. महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य जाँच तथा टीकारण की सुविधा उपलब्ध है या नहीं?
28. यदि हाँ तो माह में कितनी बार की जाती है?
29. क्या बच्चों को स्वास्थ्य जाँच तथा टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है?
30. यदि हाँ तो माह में कितनी बार की जाती है?
31. क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गृहभेंट करती है?
32. क्या आंगनवाड़ी में पीने के पानी की व्यवस्था, खिलौने, खाना खाने के लिए बर्तन इत्यादि उपलब्ध है?
33. क्या इस योजना के लिए राशि समय पर मिल पाती है या नहीं?
34. बच्चों को उचित स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा दी जा रही है या नहीं?
35. रसोई की क्या व्यवस्था है?
36. खाना पकाने व खिलाने की जगह साफ है या नहीं?
37. आंगनवाड़ी की बर्तनों की व्यवस्था है या नहीं?
38. कार्यकर्ता व सहायिका को सही वेतन नियमित रूप से मिलता है या नहीं?
39. योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की जानकारी।
40. आंगनवाड़ी में बालक / बालिकाओं के लिये अलग–अलग शौचालय है / नहीं?

2. मध्यान्ह भोजन योजना

2.1 मूल बातें

किसके लिये है यह योजना – सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के सभी बच्चे।

क्या है यह योजना – प्राथमिक शिक्षा के साथ पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्यान्ह भोजन योजना) की शुरूआत 15 अगस्त 1995 में हुई।

इसके दो मकसद थे, एक – बुनियादी शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना, दो– स्कूल जाने वाले बच्चों के सही विकास के लिए पोषण स्तर को ऊपर उठाना।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन योजना ही एक मात्र ऐसी योजना है जिसमें बच्चों की पोषण सम्बन्धी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। यह माना गया है कि कुपोषण की स्थिति में बच्चों की सीखने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और वे स्कूली प्रक्रिया में पूरी क्षमता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं और अंततः स्कूल से बाहर आ जाते हैं।

भारत सरकार के स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। अलग–अलग राज्यों में इसके क्रियान्वयन की व्यवस्था अलग–अलग है। उड़ीसा में महिला एवं बाल विकास विभाग इसे संचालित करता है तो मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय निकाय विभाग इसका क्रियान्वयन करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए अलग विभाग खड़ा किया है।

भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केन्द्र द्वारा हर जिले को 100 ग्राम अनाज प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से आवंटन किया गया।

एक साल में प्रतिदिन या कम से कम 200 दिन (कार्य दिवस) हर बच्चे को पका हुआ भोजन मिलना चाहिए। प्राथमिक शाला के बच्चों के भोजन में 450 कैलोरी उर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिये एवं माध्यमिक शाला के बच्चों के भोजन में 700 कॉलोरी उर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिये। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शालाओं में यह योजना लागू है। इस योजना में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को शामिल नहीं किया गया है।

सूखाग्रस्त इलाकों में मध्यान्ह भोजन गर्मी के अवकाश के दौरान भी उपलब्ध करवाया जाये। **20 अप्रैल 2004 का आदेश**

अब मध्यान्ह भोजन योजना का दायरा बढ़ाकर सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों (आठवीं कक्षा) के बच्चों तक विस्तृत कर दिया गया है।

हर स्कूल में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अलग से रसोई घर बनाने की व्यवस्था की गई है जिसके लिए भारत सरकार आर्थिक मदद देती है।

सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को स्वादिष्ट, अच्छी गुणवत्ता का भोजन पीने के साफ पानी के साथ मिले। मध्यप्रदेश में वर्तमान में मध्यान्ह भोजन बनाने की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर के सेवा सहायता समूह को दी गई है। वे आंगनवाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण आहार भी बनाने का कार्य कर रही है। दोनों के भोजन को एक साथ बनाने की व्यवस्था को मध्यप्रदेश सरकार ने सांझा चूल्हा नाम दिया है। प्राथमिक शालाओं हेतु भोजन के लिए 2.69 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति के हिसाब से तय की गई है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 2.02 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन एवं राज्य सरकार द्वारा 0.67 रूपये की राशि प्रतिदिन की जायेगी।

माध्यमिक शालाओं हेतु भोजन के लिए 4.03 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन के मान से तय की गई है। जिसमें की केन्द्र सरकार द्वारा 3.02 रूपये और राज्य सरकार द्वारा 1.01 रूपये प्रदान किये जायेंगे।

मध्यान्ह भोजन हेतु राशन की दुकान से प्राथमिक शाला के बच्चों को 100 ग्राम (गेहूं/चावल) प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से दिया जायेगा।

इसके अलावा जुलाई 2010 से सरकार द्वारा खाना बनाने वाली महिला को 1000 रूपये की राशि प्रति मानदेय के रूप में दी जायेगी। यह राशि 1 से लेकर 25 बच्चों के भोजन बनाने के लिए है। यदि किसी शाला में 25 से 100 बच्चे है तो ऐसी स्थिति में 2 रसोइयों को खाना बनाने की जिम्मेदारी दी जायेगी जिसमें दोनों को रूपये 1000/– प्रतिव्यक्ति के मान से दिया जायेगा।

2.2 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

28 नवंबर 2001 का आदेश

जो राज्य सरकारें सूखा अनाज दे रही हैं उन्हें पका मध्यान्ह भोजन देना शुरू करना होगा। तीन माह के अंदर आधे जिलों में (सबसे गरीब) शुरू करना अनिवार्य है, यानि 28 फरवरी 2002 तक और अगले तीन माह यानि 28 मई 2002 तक सभी जिलों में लागू करना अनिवार्य है।

20 अप्रैल 2004 का आदेश

पका भोजन बनाने में आने वाला कोई भी खर्च किसी भी स्थिति में अभिभावकों या बच्चों से नहीं वसूला जायेगा।

रसोइये व उसके सहायक के चयन में दलित/आदिवासी को प्राथमिकता दी जाए।

सभी प्राथमिक शालाओं में रसोई घर बनाने और पका भोजन बनाने का खर्च भारत सरकार वहन करे।

सभी सूखाग्रस्त इलाकों में, गर्मी की छुट्टियों में भी मध्यान्ह भोजन दिया जाए।

अगले तीन माह में भारत सरकार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे जिसके माध्यम से बताए कि वह, प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह योजना 10वीं कक्षा तक कब लागू करेगी?

योजना को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएं– जैसे कि अच्छे भवन, बेहतर सुविधाएं, गहन निरीक्षण, गुणवत्ता की अतिरिक्त सुरक्षा और भोजन के पोषक तत्वों में सुधार जिससे कि प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पोषक आहार मिल सके।

27 अप्रैल 2004 का आदेश

ऐसे सभी राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश जिन्होंने अब तक 28 नवंबर 2001 के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया है, वह प्राथमिक स्कूलों की 2004 की लम्बी छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही आदेश का पालन करने का प्रयोग करेंगे। 1 सितम्बर 2004 तक आदेश का पालन किसी भी स्थिति में किया जाए।

सभी मुख्य सचिवों/ प्रशासकों को निर्देश कि वह ऊपर लिखे आदेश के संदर्भों में अपना सहमति पत्र 15 सितम्बर 2004 या उससे पहले प्रस्तुत करें।

पका भोजन बनाने में आने वाला कोई भी खर्च किसी भी स्थिति में अभिभावकों या बच्चों से नहीं वसूला जायेगा।

2.3 यह जरूर जांचे

(मध्यान्ह भोजन योजना)

जहाँ योजना चल रही है।

यह योजना कब लागू हुई थी?

स्कूल रोज लगता है या नहीं?

स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है?

स्कूल में पका हुआ भोजन मिलता है या कुछ और?

यदि मिलता है तो साल में कितने दिन?

दोपहर का भोजन किस समय दिया जाता है?

खाने में क्या मिलता है? लिस्ट बनायें दिन के अनुसार ।

अगर पका हुआ भोजन मिलता है तो क्या हर बच्चे को हर रोज पका हुआ भोजन मिलता है?

क्या खाने में मसाले, तेल आदि सही मात्रा में डाले जाते हैं?

खाने की गुणवत्ता कैसी है?

खाना बनाने का कार्य कौन करता है ?

स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था है या नहीं?

स्कूल में रसोईघर है या नहीं? यदि है तो कैसी है?

खाना पकाने व खिलाने की जगह साफ है या नहीं?

स्कूल में बर्तनों की व्यवस्था है या नहीं?

रसोईये कितने हैं? रसोइये की जाति क्या है?

रसोइये को वेतन की सही राशि मिलती है या नहीं?

ईंधन की क्या व्यवस्था है? उसके लिए लाने वाले को सही भुगतान किया जा रहा है या नहीं?

क्या सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं?

क्या शिक्षक व रसोइये भी मध्यान्ह भोजन करते हैं?

क्या कभी कोई खाने के बाद बीमार पड़ा है?

क्या कभी दोपहर का भोजन खाने के बाद किसी बच्चे की मृत्यु हुई है?

क्या शिक्षक पालक संघ सक्रिय है?

दोपहर के भोजन की कभी जांच हुई है या नहीं?

इस योजना का मूल्यांकन हुआ है या नहीं?

इस योजना के लिए राशि समय पर मिलती है या नहीं? प्रति बच्चा प्रावधान कितना है?

इस योजना के लिये आवंटित राशि पूरी मिलती है या नहीं?

योजना के खर्च का नियमित रिकार्ड है या नहीं ?

यदि रिकार्ड है तो उसे कौन रखता है?

भेदभाव तो नहीं है!

योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की जानकारी।

जहां योजना नहीं चल रही है वहां पर हम यह जांचने की कोशिश करें कि यहां पर संबंधित योजना का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है?

3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3.1 मूल बातें

किसके लिये है यह योजना – गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), अति गरीब परिवार (अंत्योदय अन्न योजना), अन्नपूर्णा योजना और गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल) के परिवार।

क्या है यह योजना – यह योजना 1997 में पुरानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदलकर लागू की गई।

परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), अति गरीब परिवार (अंत्योदय अन्न योजना) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) जीवनयापन करने वाली तीन श्रेणियों में बांटा गया।

बीपीएल (नीला), अन्त्योदय अन्न योजना (पीला) और एपीएल (सफेद) परिवारों को अलग–अलग रंग के राशन कार्ड वितरित किए गए।

हर बीपीएल और अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राही को हर माह 35 किलो अनाज सस्ती दर पर प्राप्त करने का अधिकार है।

वर्तमान स्थितियों में बीपीएल परिवारों को 5 रूपये/किलो गेहूँ और साढ़े छः रूपये/किलो चावल उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है जबकि अन्त्योदय अन्न योजना परिवार को 2 रूपये/किलो गेहूँ और 3 रूपये/किलो चावल दिये जाने की व्यवस्था है।

राशन की दुकान महीने के पूरे दिन खुली होना चाहिये।

हर व्यक्ति को राशन की दुकान और राशन की व्यवस्था से सम्बन्धित जानकारियाँ पाने का पूरा अधिकार है।

राशन की व्यवस्था की निगरानी के लिये निगरानी समिति होगी।

योजना आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य में बीपीएल परिवारों की संख्या तय की जाती है।

प्रत्येक घर का सर्वे कर बीपीएल परिवारों का चयन।

मध्यप्रदेश सरकार वर्तमान में गरीबी रेखा के परिवारों को प्रति माह 23 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के अनुसार राशन की दुकान 3 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिये।

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के अनुसार राशन की दुकान केवल रविवार को छोड़कर प्रतिदिन 9 बजे से 1 बजे तथा शाम 3 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी।

3.2 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

23 जुलाई 2001 का आदेश

सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें बंद हों तो उन्हें न्यायालय के आदेश के एक सप्ताह के अंदर–अंदर खोला जाए और राशन वितरित किया जाए।

28 नवंबर 2001 का आदेश

1 जनवरी 2002 तक सभी बीपीएल परिवारों का चयन किया जाए। सभी राज्यों को चयनित बीपीएल परिवारों को बीपीएल कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जाए।

8 मई 2002 का आदेश

राशन की दुकान निश्चित समय अनुसार पूरे माह खुली रहेंगी। दुकान में उपलब्ध सामग्री की जानकारी सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

बीपीएल परिवारों के उचित चयन हेतु मार्गदर्शिका तैयार करने का केन्द्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी।

2 मई 2003 का आदेश

1. राशन की दुकानों के उन संचालनकर्ताओं का लाईसेंस तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाना चाहिए जोकि

   अपनी दुकानें पूरे माह निर्धारित समय तक न खोलते हों।

   गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को उनके निर्धारित दरों पर अनाज उपलब्ध न करवाते हों।

   बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड अपने पास रखते हों।

   बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड में गलत सूचना (प्रविष्ट) भरते हों।

   राशन के अनाज की कालाबाजारी करते हों या उसे खुले बाजार में बेचते हों या राशन की दुकानें अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों / संस्थाओं को चलाने के लिए देते हों।

2. बीपीएल परिवारों की किश्तों में राशन लेने की अनुमति।

3. विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि गरीब परिवार अपने अधिकार जान सकें।

14 फरवरी 2006 का आदेश

बीपीएल की सूची 2002 में नाम जुड़ने की एवं काटने की प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगी।

10 जनवरी 2008 का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 28/11/2001 के आदेश में संशोधन करते हुए बीपीएल परिवारों को भी 35 किलो खाद्यान्न प्रति माह प्रति परिवार देने का आदेश किया।

12 अगस्त 2010 का आदेश

खाद्य सचिव द्वारा कोर्ट को यह बताया गया कि 1 जून 2010 की स्थिति में सरकार ने 604.28 लाख टन गेहूं और चावल प्राप्त किया है, पर अपर्याप्त भण्डारण व्यवस्था होने की वजह से 178 लाख टन सरकार को पन्नियों से ढंकना पड़ रहा है।

इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार को सभी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने आदेश दिया कि भारत सरकार को इस खाद्यान्न के भण्डारण के विषय में अल्पकालिक और र्दीघकालिक उपाय करने पड़ेंगे।

स्थाई उपाय के रूप में सरकार पर्याप्त भण्डारण संरचना का निर्माण कर सकती है। जिसमें हर राज्य/संभाग या हो सके तो हर जिले में गोदाम बना सकती है।

इसके अलावा इस व्यवस्था से निपटने के लिये अल्पकालीन उपाय यह है कि सरकार बीपीएल परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाये।

राशन दुकान महीने के पूरे 30 दिन खोली जाये।

सरकार खाद्यान्न उन लोगों को मुफ्त या कम दरों पर उपलब्ध कराये जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।

इसके अलावा न्यायालय ने आदेश दिया कि राशन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये विशेषकर आदिवासी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में।

31 अगस्त 2010 का आदेश

आदेश में न्यायालय ने सरकार को जल्द से जल्द नया बीपीएल सर्वे करने के आदेश दिये।

4. अन्त्योदय अन्न योजना

4.1 मूल बातें

किसके लिये है यह योजना – गरीब से गरीब परिवारों के लिये।

क्या है यह योजना – गरीब से गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा हेतु 2001 में शुरू की गई। 2 करोड़ ऐसे परिवार चयनित करने का प्रावधान।

चयनित परिवारों को अन्त्योदय कार्ड पर हर माह 35 किलो अनाज, 2 रू. प्रतिकिलो गेंहूं और 3 रू. प्रतिकिलो चावल की दर से दिया जाएगा।

परिवारों का चयन ग्रामसभा द्वारा किया जाएगा।

4.2 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

28 नवंबर 2001 का आदेश

सभी राज्यों में अन्त्योदय परिवारों का चयन कर मार्गदर्शिका अनुसार हितग्राहियों को हर माह अनाज उपलब्ध कराया जाए। यह काम 1 जनवरी 2002 तक हो जाना चाहिए।

जो अन्त्योदय परिवार इतने गरीब हैं कि उनकी क्षमता राशन खरीदने की नहीं है, उन्हें यदि केन्द्र सरकार चाहे तो अपनी संतुष्टि करने के बाद, कोटा मुफ्त उपलब्ध करा सकती है।

2 मई 2003 का आदेश

भारत सरकार अन्त्योदय अन्न योजना में निम्न श्रेणी के लोगों को शामिल करें चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे निवासरत हों या नहीं –

बूढ़े, लाचार, विकलांग, बेसहारा पुरूष व महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं।

विधवा व वे एकल महिलाएं जिनको कोई सहारा न हो।

60 साल व उससे ऊपर के व्यक्ति जो बेसहारा हैं व जिनके पास आजीविका का कोई नियमित जरिया नहीं है।

ऐसा परिवार जहां वृद्धावस्था, शारीरिक व मानसिक बीमारी, सामाजिक रीति–रिवाजों, विकलांग व्यक्ति की देखभाल तथा अन्य किन्हीं कारणों से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो घर बाहर कमाई के लिए जा सके।

आदिम जनजातियां (म.प्र. में जैसे बैगा, भारिया और सहरिया)।

राशन की दुकान की सभी शर्तें जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर लागू होती हैं वह इस योजना पर भी लागू होती हैं।

20 अप्रैल 2004 का आदेश

भारत सरकार दो माह में मार्गदर्शिका तैयार करेगी जिसमें वह यह शर्त हटायेगी, जिसके अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल होने के लिए बीपीएल राशन कार्ड होना अनिवार्य है।

आदिम जन जातियों को अन्त्योदय कार्ड तेजी से जारी करने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को आदेश दे, जिनका पालन भावना और अर्थ दोनों में किया जाए।

अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों के चयन के लिये गरीबी की रेखा का मापदण्ड उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिये।

इस योजना के तहत विकलांग, वृद्ध, निराश्रित, एकल महिला परिवार, विधवा महिलाएं, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं, पिछड़ी हुई आदिम जनजातियाँ आदि श्रेणियों में शामिल व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर अन्त्योदय अन्न योजना का फायदा तत्काल दिया जायेगा।

इस योजना पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये तमाम् आदेश लागू होते हैं।

4.3 यह जरूर जांचे

(लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्त्योदय अन्न योजना)

बीपीएल/अन्त्योदय अन्न योजना के व्यक्तियों का सही चयन हुआ या नहीं?

बीपीएल/अन्त्योदय अन्न योजना सूची में शामिल सभी को कार्ड मिला या नहीं?

अगर नहीं मिला तो उसकी वजह क्या है?

गांव में कुल कितने बीपीएल/अन्त्योदय कार्डधारी हैं?

कार्डधारी को किस आधार पर कार्ड मिला है? हरेक कार्डधारी के संबंध में बताएं।

बीपीएल/अन्त्योदय कार्डधारी क्या वास्तव में कार्ड पाने की पात्रता रखता है? हरेक कार्डधारी के संबंध में बताएं।

बीपीएल/अन्त्योदय/राशन कार्ड किसके पास रहता है ?

क्या कार्डधारी का नाम बीपीएल सूची में भी दर्ज था?

अन्त्योदय कार्ड के लिए बीपीएल सूची में नाम अनिवार्य नहीं है।

कार्डधारी को हर माह निर्धारित कीमत पर अनाज मिल रहा है या नहीं ?

कार्डधारी को हर माह 35 किलो अनाज मिल रहा है या नहीं?

बीपीएल/अन्त्योदय कार्डधारी के घर से राशन की दुकान की दूरी कितनी है?

राशन की दुकान पर हितग्राहियों की सूची उपलब्ध है या नहीं ?

दुकानदार कितनी राशन की दुकानें संचालित करता है?

क्या हर माह राशन समय पर दुकान तक पहुंचता है?

क्या अनाज किश्तों में लेने की सुविधा है?

राशन दुकान महीने में कितने दिन खुलती है?

अनाज की गुणवत्ता कैसी है?

बीपीएल/अन्त्योदय कार्डधारी को कार्ड प्राप्त करने में कोई परेशानी तो नहीं आई?

क्या बीपीएल/अन्त्योदय कार्ड पाने के लिए किसी को कुछ पैसे देने पड़े थे?

गांव में कुल कितने परिवार इस योजना के हकदार हैं? उनके नाम व विवरण दें।

राशन दुकान के मालिक का बीपीएल/अन्त्योदय कार्डधारी के प्रति व्यवहार कैसा है?

योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की जानकारी।

5. राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना/जननी सुरक्षा योजना

5.1 मूल बातें

किसके लिये है यह योजना – गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी गर्भवती महिलायें।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त 1995 को इस योजना की शुरूआत की गई थी।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं को 500 रू. की सहायता एक मुश्त में दी जाएगी।

यह सहायता बच्चे के जन्म के 8–12 सप्ताह पहले दे देनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये योजनाएं उनकी अनुमति के बिना बन्द नहीं की जा सकती हैं और इन योजनाओं के लिए आवंटित राशि का उपयोग किसी दूसरे काम के लिए भी नहीं किया जा सकेगा।

जननी सुरक्षा योजना को आधार बनाकर इस योजना के अस्तित्व को खत्म नहीं किया जा सकेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना लागू की गई थी और इसी योजना में राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना को मिला दिया गया था। परन्तु सैद्धान्तिक रूप से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन दोनों योजनाओं के मकसद अलग–अलग हैं। राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना का मकसद गर्भावस्था के दौरान महिला को पोषण आधारित सहायता प्रदान करना है जबकि जननी सुरक्षा योजना का मकसद संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है।

बाद में राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना को जननी सुरक्षा योजना में मिला दिया गया जिसके तहत प्रसवों को दो तरह से यानि कि घर में और संस्थागत प्रसव के रूप में देखा जाने लगा।

परन्तु जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना में भ्रम के कारण कई हितग्राहियों को (जिनके प्रसव घरों पर हुए हैं) कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में 20 नवम्बर 2007 के अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना का क्रियान्वयन जारी रहेगा और अब इसमें बच्चों की संख्या का मापदण्ड लागू नहीं है, यानि दो से ज्यादा बच्चों के जन्म की स्थिति में भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने योजना से उम्र के बंधन को भी हटाने के आदेश दिये हैं।

घर पर होने वाले प्रसव प्रकरणों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की ऐसी गर्भवती

महिलाऐं जो घर पर ही प्रसव कराना चाहती हैं उन्हे जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रू. 500/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यह राशि उन्हें प्रसव के दिन अथवा प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व आशा अथवा समतुल्य कार्यकर्ता के माध्यम से एएनएम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

यह सहायता प्राप्त करने के लिए महिला के पास जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड होना आवश्यक है।

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दो तरह से लाभ दिये जाते हैं पहला जिन महिलाओं का प्रसव घर में हुआ है उन बीपीएल महिलाओं को 500/– की आर्थिक सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ है उन सभी ग्रामीण महिलाओं को 1400/– एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसके अलावा जो भी गर्भवती महिला को प्रेरित करके अस्पताल में प्रसव के लिए लाती/लाता है उसे ग्रामीण क्षेत्र में 600/– रूपये और शहरी क्षेत्र में 200/– की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। यह राशि महिला को मिलने वाली राशि से अलग होगी।

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत केवल घर में होने वाले प्रसव ही सर्वोच्च न्यायालय के इस केस के दायरे में है, संस्थागत प्रसव इस केस से बाहर हैं।

5.2 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

28 नवंबर 2001 का आदेश

पहले दो बच्चों के जन्म पर बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं को 500 रू. की राशि, स्थानीय सरपंच के माध्यम से, बच्चे के जन्म से 8–12 सप्ताह पहले देनी है।

27 अप्रैल 2004 का आदेश

भोजन के अधिकार से सम्बंधित कोई भी योजना जो कि इस केस में मानी गई है। उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बंद नहीं किया जाऐगा।

20 नवम्बर 2007 का आदेश

राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना को चालू रखा जाएगा।

गरीवी रेखा के नीचे आने वाली सभी महिलाओं को प्रसव के 8–12 सप्ताह पहले आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

यह 500 रु. की आर्थिक सहायता बिना महिला की उम्र और बच्चों की संख्या को देखते हुए दी जायेगी।

सभी सम्बंधित सरकारों को आदेशित किया गया है कि वो योजना का प्रचार प्रसार लगातार करें।

5.3 यह जरूर जांचे

(राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना / जननी सुरक्षा योजना)

1. कहां योजना नहीं चल रही है

यह योजना अभी नहीं चल रही है या कभी भी नहीं चलाई गई?

यदि अभी नहीं चल रही है तो कब से नहीं चल रही है ?

इस योजना के तहत लाभ पाने हेतु आवेदन दिया गया है या नहीं?

योजना ना चलने के क्या कारण हैं?

बी.पी.एल. परिवारों में योजना की जानकारी न होना आदि।

2. जहां योजना चल रही है

इस योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार की महिलाओं को लाभ मिल रहा है या नहीं?

यदि हां तो इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 500 रूपये की सहायता राशि एक किश्त में मिल रही है या नहीं?

प्रसव के 8–12 सप्ताह पूर्व यह राशि महिला को प्राप्त हुई या नहीं?

यदि नहीं तो यह राशि कब दी गई?

सहायता राशि प्राप्त होने में कितना समय लगा?

इस राशि का भुगतान किसके द्वारा किया गया?

क्या कुछ पात्र लोग इस योजना में जोड़े नहीं गए? उनके नाम व विवरण दें?

जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, उसके कारण क्या हैं ?

क्या बच्चों की संख्या की वजह से भी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलता है ?

महिलाओं ने यह राशि किस काम के लिए खर्च की ?

योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की जानकारी।

6. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

6.1 मूल बातें

किसके लिये है यह योजना – परिवार में मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर हर बीपीएल परिवार के लिये।

क्या है यह योजना – बीपीएल परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर स्थानीय निकाय द्वारा मृतक के परिवार को व्यक्ति की मृत्यु के चार सप्ताह के भीतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

10,000 रू. की सहायता राशि एकमुश्त दी जाए।

मृत्यु (प्राकृतिक या दुर्घटना से) के समय मुख्य कमाने वाले की आयु 18–64 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।

राशि परिवार के उस सदस्य को मुहैया कराई जाए जो स्थानीय जांच के बाद परिवार का मुखिया निर्धारित किया गया हो।

6.2 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

28 नवंबर 2001

परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के 4 सप्ताह के अंदर स्थानीय सरपंच के माध्यम से रू. 10,000 मिलना सुनिश्चित हो।

6.3 यह जरूर जांचे

(राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना)

जहां योजना चल रही है

आपके गांव या वार्ड में बी.पी.एल. परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद इस योजना की सहायता राशि कितने परिवारों को मिल चुकी है या मिलनी बाकी है?

यदि सहायता मिली है तो परिवार को सहायता प्राप्त करने में कितने माह का समय लगा?

इस योजना के अन्तर्गत 10,000 रूपये की राशि एक किश्त में परिवार को मिली है या नहीं?

क्या यह राशि उस ही व्यक्ति को दी गई है जिसे ग्रामसभा में परिवार का अगला मुखिया माना गया था?

इस योजना की सहायता प्राप्त करने में और कौन सी परेशानियाँ झेलनी पड़ीं?

क्या कुछ पात्र लोग इस योजना में जोड़े नहीं गए? उनके नाम व विवरण दें।

योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की जानकारी।

जहां योजना नहीं चल रही है वहां पर हम यह जांचने की कोशिश करें कि यहां पर संबंधित योजना का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है ?

7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

7.1 मूल बातें

किसके लिये है यह योजना – गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 65 वर्ष की उम्र से अधिक आयु वाले हर व्यक्ति ।

क्या है यह योजना – मानवीय संवेदनाओं के नजरिए से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि देश में सामाजिक और खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वृद्धजन भुखमरी के शिकार होते रहे हैं।

यह योजना 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई।

आवेदक की उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

आवेदक निराश्रित होना चाहिए, यानि उसके पास आजीविका का कोई नियमित माध्यम नहीं है और उसे अपने परिवार या अन्य किसी स्त्रोत से वित्तीय सहायता न मिलती हो।

यह एक मासिक पेंशन योजना है जिसमें एक निर्धारित राशि हितग्राही को हर माह की 7 तारीख के पहले मिलना चाहिए।

इस योजना को सितम्बर 2007 से नया रूप दिया गया है जिसके अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 65 वर्ष की उम्र से अधिक आयु वाले हर व्यक्ति को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

इस योजना के तहत केन्द्र सरकार प्रतिमाह 200 रूपये प्रति हितग्राही के हिसाब से राशि का आवंटन करती है। इस योजना में राज्य सरकार की ओर से भी राशि का आवंटन किया जाता है। मध्यप्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त 75 रूपये प्रतिमाह का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस मान से यहां प्रति हितग्राही पेंशन की राशि 275 रूपये प्रतिमाह है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये योजनाएं उनकी अनुमति के बिना बन्द नहीं की जा सकती हैं और इन योजनाओं के लिए आवंटित राशि का उपयोग किसी दूसरे काम के लिए भी नहीं किया जा सकेगा।

7.2 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

28 नवंबर 2001 का आदेश

सभी राज्य सरकारें हितग्राहियों का चयन करें और 1 जनवरी 2002 तक भुगतान की शुरूआत करें।

प्रतिमाह 7 तारीख से पहले राशि का भुगतान नियमित रूप से किया जाये।

7.3 यह जरूर जांचे

(इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना)

1. जहां योजना चल रही है।

   गांव में कुल कितने पेंशनधारी हैं?

   पेंशनधारी को पेंशन पाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? यदि हां तो कैसी?

   क्या पेंशनधारी को हर माह पेंशन मिल रही है?

   पेंशन की कितनी राशि मिल रही है?

   क्या हर महीने एक ही राशि मिलती है या बदल–बदल कर?

   पेंशनधारी को राशि किसके द्वारा दी जाती है?

   पेंशनधारी को हर माह 7 तारीख से पहले पेंशन मिल रही है या नहीं?

   क्या कभी राशि नहीं भी दी गई है?

   इस राशि का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है?

   यदि बैंक द्वारा किया जाता है तो उनका इस योजना के हितग्राहियों के प्रति व्यवहार कैसा है?

   क्या कुछ पात्र लोग इस योजना में जोड़े नहीं गए? उनके नाम व विवरण दें।

   योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की जानकारी।

जहां योजना नहीं चल रही है वहां पर हम यह जांचने की कोशिश करें कि यहां पर संबंधित योजना का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है ?

8. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून

8.1 मूल बातें

वर्ष 2001 में जब पीयूसीएल ने भोजन के अधिकार को लेकर याचिका दायर की तब यह तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए लगाई गई थी। उसमें रोजगार योजना को भी शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार योजनाओं के सम्बन्ध में (पहले सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना) जो आदेश दिये थे, उसमें ग्रामसभा कार्यो के प्रस्ताव बनायेगी, इस योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत रोजगार के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साप्ताहिक आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इन योजनाओं में ठेकेदारी का उपयोग वर्जित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ग्रामसभाओं को सभी कार्यों की निगरानी करने का अधिकार है। ऐसे तो यह बिल्कुल साफ है कि जीने के लिए जितनी बड़ी जरूरत रोटी है उतना ही जरूरी काम भी है। अगर काम मिलेगा तभी रोटी आ सकेगी और जीना संभव हो सकेगा। इसके लिए जरूरत थी एक कानून की जो रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाये। इसके लिए अभियान के साथ कई साथी और संगठनों ने लड़ाई लड़ी और अंततः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2006 उसी संघर्ष का नतीजा है। इस कानून में ग्रामसभा को सर्वोपरि माना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामसभा से लेकर राज्य तक निगरानी की व्यवस्था है। ग्रामसभा हर 6 माह में कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करेगी। सामाजिक अंकेक्षण से योजना के सही क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।

अब गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को रोजगार पाने का कानूनी अधिकार है। ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून परिवार को एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार पाने का अधिकार देता है। जरूरत यह है कि हम अपने लिये पंचायत से काम की मांग करें क्योंकि जब तक कोई काम नहीं मांगेगा तब तक उसे सरकार काम नहीं देगी।

इस कानून के हिसाब से पंचायत हर परिवार का पंजीयन करेगी। जिस परिवार का पंजीयन होगा उसे एक रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड) दिया जायेगा।

हमें जब भी रोजगार चाहिये, उसके लिये पंचायत को लिखकर या बोलकर आवेदन देना होगा। इस आवेदन की रसीद या पावती जरूर–जरूर लेना है।

एक साल में हर परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जायेगा।

आवेदन देने के 15 दिनों के भीतर अगर सरकार या पंचायत ने हमें काम नहीं दिया तो हमें सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक भत्ता मिलता रहेगा।

अपने काम के लिये सबको कम से कम न्यूनतम मजदूरी (मध्यप्रदेश में अब 122 रुपये) मिलेगी।

महिला एवं पुरुषों को मजदूरी बराबर मिलेगी।

मजदूरी के भुगतान के लिए वर्तमान में बैंक/पोस्ट ऑफिस की सुविधा की गई है।

इसके अंतर्गत हर परिवार का एक खाता खोला जायेगा।

और हां, मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह में होगा, नहीं तो मजदूरी मुआवजा अधिनियम 1936 के तहत मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा 1500 से 3000 रुपये तक का हो सकता है।

काम गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जायेगा नहीं तो आने–जाने के भाड़े के तौर पर मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी।

काम के दौरान दुर्घटना होने पर दुर्घटना मुआवजा मिलेगा।

अब गांव में मिट्टी, पानी, जंगल, सड़क या खेत के क्या काम हों, यह ग्रामसभा और पंचायत तय करेगी।

हर काम के लिये मजदूर, महिलायें, आदिवासी और दलितों को मिलाकर एक निगरानी समिति बनेगी। हर काम में ठेकेदारों पर प्रतिबंध है।

हर छह माह में ग्रामसभा रोजगार योजना के काम की जांच पड़ताल (सामाजिक अंकेक्षण) करेगी और जो लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाही होगी।

जहां पर भी काम चलेगा वहां मजदूरों के लिये पीने का साफ पानी, दवाओं का एक बक्सा और छांव की व्यवस्था होगी।

वहां बच्चों के लिये झूलाघर भी होगा और 6 वर्ष तक के पांच बच्चे होने पर एक महिला उन बच्चों की देखभाल करेगी।

हमारे गांव के विकलांगों को भी इसमें काम मिलेगा।

ग्रामसभा इस योजना के अन्तर्गत हर काम की जांच–पड़ताल (सोशल ऑडिट) करेगी। ग्राम सभा हर 6 माह में कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) करेगी।

इसमें गांव के कई लोग मिलकर एक ही आवेदन कर सकते हैं।

शिकायत पर तत्काल कार्रवाई कर उसको हल किया जायेगा।

योजना के अंतर्गत आदिवासी, दलित भूमि के हितग्राही, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार व इंदिरा आवास योजना के हितग्राहियों के खेत में सिंचाई सुविधा एवं भूमि विकास के कार्य किये जायेंगे।

अब 10 मजदूरों की मांग पर नया काम खोला जा सकता है।

8.2 यह जरूर जांचें

किसी का पंजीयन छूटा तो नहीं है? फर्जी पंजीयन तो नहीं हुआ?

क्या जॉब कार्ड सभी को मिल गया है? जॉब कार्ड पर मजदूरी अंकित है कि नहीं?

जॉब कार्ड अथवा फोटो के लिए पैसे तो नहीं मांगे जा रहे हैं?

जॉब कार्ड सरपंच / सचिव के पास तो नहीं है? जॉब कार्ड पर सही सूचनाएं दर्ज हैं कि नहीं?

व्यक्तियों से आवेदन लिया जा रहा है कि नहीं? पावती दी जा रही है या नहीं?

कार्यस्थल पर सुविधायें हैं या नहीं? कार्यस्थल पर बोर्ड है कि नहीं?

फर्जी मजदूरों और काम को तो दर्ज नहीं किया जा रहा है?

समय पर मूल्यांकन होता है या नहीं?

सात से पंद्रह दिन में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है या नहीं?

कम भुगतान तो नहीं किया जा रहा है?

निगरानी समिति बनी है या नहीं?

सामाजिक अंकेक्षण करने में ग्राम सभा को शामिल किया गया है या नहीं?

ठेकेदारों और मशीनों से काम तो नहीं कराया जा रहा है।

9. शहरी बेघरबारों के संबंध में

9.1 मूल बातें

गांवों में काम ना मिलना, कृषि का धीरे–धीरे मरते जाना और इसी तरह के अन्य संकटों की वजह से लोगों का गांव से शहर आना बदस्तूर जारी है। शहरों में आने वाले ये लोग आपको सड़कों पर, पार्कों में, फुटपाथ पर, स्टेशन पर, बस स्टैण्ड़ पर, हाथ ठेलों पर, धार्मिक स्थलों के आसपास सोते दिखाई दे जायेंगे। ये लोग शहर में सबसे वंचित तबके के रुप में जीवनयापन कर रहे हैं।

न्यूनतम मजूदरी से भी कम मजदूरी में काम करना, ना स्वच्छ पेयजल और ना ही स्वास्थ्य की अन्य सुविधायें, प्रतिदिन पुलिस की पिटाई या प्रताड़ना और इससे भी हटकर सरकारी आश्रयगृहों की अनुपलब्धता के चलते सड़कों पर खुले आसमान तले रहने और सोने की मजबूरी। यह सभी उनके जीवन के अधिकार के अंर्तगत् आश्रय के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार और शोषण के विरुद्ध उनके अधिकारों का हनन है। शहर में रहने वाले बेघरबारों की न्यूनतम मजूदरी भी तय नहीं है जिसके चलते ना तो वे आश्रय के संबंध में अपनी जरुरतें पूरी कर पाते हैं और ना ही उन्हें पर्याप्त और बेहतर आहार ही मिल पाता है, स्वास्थ्य सुविधायें भी ताक पर रखी रहती हैं।

जनवरी 2010 में भोजन के अधिकार प्रकरण यह बात शामिल की गई कि जैसे ही सर्दियों के दिनों में तापमान में कमी होती है लोगों की खाद्य जरुरतें बढ़ जाती हैं। उन्होंने विश्वस्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुये कहा कि ''शीत वातावरण में प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत तब और बढ़ जाती है जबकि उसके पास आश्रय स्थल और गर्म कपड़े अपर्याप्त हैं।'' 5 डिग्री कम होने पर 100 किलो कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। इसके चलते वह वंचित समुदाय जो पहले से ही वंचित है, खाद्यसुरक्षा के मामले में और भी वंचित हो जाता है।

इस दलील पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश देते हुये कहा कि सरकारें तत्काल प्रभाव से 6 माह के भीतर समस्त शहरी क्षेत्रों में आश्रयविहीन लोगों की अनिवार्य रुप से पहचान करें। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा है कि सरकार जेएनएनयूआरएम के तहत चिन्हित शहरों में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 100 लोगों के लिये वर्ष भर 24 घंटे के रात्रि आश्रय गृहों की व्यवस्था करे।

हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि यह व्यवस्था स्थाई नहीं है बल्कि यह अस्थाई है। सरकारें सस्ती दरों पर आवास मुहैया कराने में विफल रही है तभी यह समस्या विकराल रुप ले रही है और साथ ही साथ यह स्थाई सा रुप लेती जा रही है। सरकार की 11वीं पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट को मानें तो सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की योजना 98 प्रतिशत से पिछड़ी है। जबकि अभी नवीन निर्माण में 95 प्रतिशत निर्माण एमआईजी और एचआईजी के लिये हो रहा है। सरकार का कहना है कि नवीन निर्माण इसलिये ठप्प पड़ा है क्योंकि जमीन उपलब्ध नहीं है। जबकि जमीन तो उपलब्ध है बल्कि सरकार उसे बिल्ड़रों और भूमाफियाओं को दे रही है।

जितना विकास शहरों में हो रहा है उससे ज्यादा गरीबी भी बढ़ी है। 1971 में जहां 17.7 प्रतिशत गरीबी थी जो कि बढ़कर 2005 में 26.2 प्रतिशत हो गई। जिससे शहरी बेघरबारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अंर्तराष्ट्रीय मापदंड़ों को मानें तो विकासशील देशों में 2 प्रतिशत जनसंख्या सड़कों पर रहती है यानी लगभग 5.7 मिलियन लोग बेघरबार है। यानी प्रत्येक वो व्यक्ति जिसे शहर में आश्रय की आवश्यकता है उसे आश्रय उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

9.2 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

10 फरवरी 2010 का आदेश

जेएनएनयूआरएम एवं 5 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में वर्ष भर 24 घंटों के लिये प्रति 1 लाख की व्यवस्था पर एक आश्रयगृह की व्यवस्थायें की जाये।

इन आश्रयगृहों में से भी 30 प्रतिशत् आश्रयगृह विशेष रुप से महिलाओं, वृद्धों और अशक्त व्यक्तियों की देखभाल के लिये होना चाहिये ।

फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों की स्थिति के संबंध में भी सभी राज्य शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

05 मई 2010 का आदेश

एक लाख से ज्यादा की आबादी के सभी शहरों में अनिवार्य रुप से आश्रय गृह की व्यवस्था की जाये। एक लाख की आबादी पर कम से कम 100 जनों का आश्रयगृह उपलब्ध कराया जाये। सरकार को चाहिये कि वह आश्रयगृह में निम्न व्यवस्था अनिवार्य रुप से करे जैसे

1. स्वच्छ पेयजल, कपड़े धोने व पकाने के लिये ।
2. पर्याप्त शौचालय चालू हालत में ।
3. प्रत्येक व्यक्ति के लिये बिस्तर, गद्दे व कंबल सहित
4. उचित प्रकाश व्यवस्था व कूलर/पंखा जो भी उपयुक्त हो ।
5. बहुत ही सामान्य शुल्क पर प्रत्येक व्यक्ति के लिये लॉकर की सुविधा ।
6. प्राथमिक उपचार किट व प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा ।
7. पर्याप्त मात्रा में मनोरंजन के साधन (टी.वी., अखबार, इंडोर गेम) ।
8. पढ़ने का कमरा जिसमें अखबार और पत्रिकायें हों।
9. प्रत्येक आश्रयगृह में मनोचिकित्सक/नशामुक्ति व्यवस्था और परामर्श की सुविधा हो।

16 दिसंबर 2010 का आदेश

सभी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना किसी भी आश्रयगृह को नहीं हटायेगी। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह ऐसी व्यवस्था करे ताकि न्यूनतम सुविधाओं के अभाव में किसी की मौत ना हो।

9.3 यह जरूर जांचे

1. एक तो यह कि हर शहर में आश्रयगृह है कि नहीं ?
2. समस्त आश्रयगृह 24 घंटें के लिये है / नहीं ?
3. उपलब्ध आश्रयगृहों में से 30 प्रतिशत आश्रयगृह महिलाओं और अशक्त लोगों के लिये है / नहीं ?
4. प्रत्येक आश्रयगृह में अनिवार्य रुप से प्रत्येक के लिये चादर और कंबल सहित बिस्तर, स्वच्छ पेयजल, चालू हालत में शौचालय, प्राथमिक उपचार किट व प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा, नशामुक्ति व्यवस्था और मनोरंजन के साधन (टी.वी., अखबार, इंडोर गेम) आदि पर्याप्त रुप से हैं / नहीं ?
5. क्या आश्रयगृह में रुकने के लिये कोई शुल्क / रिश्वत देना होता है ? यदि हां तो कितनी ?
6. सभी आश्रयगृहों में प्रत्येक व्यक्ति के लिये बहुत ही सामान्य शुल्क पर लॉकर की सुविधा है / नहीं ?
7. आश्रय गृह सभी मौसम के लिये होंगे ना कि केवल सर्दियों के लिये ?
8. आश्रयगृहों में रहने पर कोई भेदभाव तो नहीं किया जाता है? यदि हां तो किस तरह का व किसके साथ?
9. क्या आश्रयगृह में रुकने के लिये कोई शर्त है ?(जैसे पहचान पत्र की अनिवार्यता, पुलिस थाने में नाम लिखवाना, स्थानीय निवासी होने का प्रमाण देना आदि।) यदि हां तो क्या ?
10. क्या आश्रयगृहों में शौचालय के उपयोग के लिये कोई शुल्क अलग से लिया जाता है ? यदि हां तो क्या?
11. सभी आश्रयगृहों में मनोचिकित्सक की, नशामुक्ति की और परामर्श की व्यवस्था है / नहीं ?
12. क्या आपके शहर में आश्रयगृहों की पर्याप्त व्यवस्था ना होने और आश्रयगृहों में न्यूनतम व्यवस्थायें ना होने के कारण किसी व्यक्ति की मौत तो नहीं हुई है ?

तीसरा हिस्सा

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और राज्य की संवैधानिक जवाबदेहिता – नीति बनाम अधिकार

नीति बनाम अधिकार

भोजन के लिए अधिकार अभियान का यह मानना है कि भूख तथा कुपोषण से आजादी जीवन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जीवन के अधिकार तथा गरीबी के दुष्चक्र सरीखे अतिसंवेदनशील मसले के संदर्भ में भुखमरी की गंभीरता का कई बार उल्लेख किया है। साथ ही यह बात भी बिल्कुल साफ है कि राज्य को उसकी अपनी ही नीतियों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए लोगों की सक्रियता जरूरी है; खासकर ऐसी नीतियां जिनके चलते लोगों को भूखे रहने पर मजबूर होना पड़ रहा हो। यहां इस मसले पर जरूर बहस की गुंजाइश बनती है कि सुप्रीम कोर्ट को नीतिगत मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन यहीं यह तथ्य भी सोचने को मजबूर करता है कि अगर भूख की वजह से लोगों के जीवन का अधिकार ही छीन लिया जा रहा हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला नहीं लाया जाना चाहिए? हमारा यह मानना है कि एक लोकतंत्र के भीतर लोगों को भारतीय संविधान में पवित्र दर्जे की तरह अंकित अधिकारों का पालन करना चाहिए। इनमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति तथा बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार तथा कोर्ट जाने का अधिकार भी शामिल है। भारत की कार्यकारिणी यह नहीं चाहती कि लोग बुनियादी अधिकारों को वास्तविक जीवन में भी अमल में लाएं। और इससे भी खराब स्थिति तो तब हो जाती है कि यही कार्यकारिणी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देकर लोगों के अपने अधिकार हासिल करने के प्रयासों के भी आड़े आती है, खासकर भूख जैसे बुनियादी मुद्दों पर।

हालांकि हम यह मानते हैं कि आदर्श स्थिति में नीतिगत मामलों में न्यायपालिका की भूमिका सीमित होनी चाहिए लेकिन ऐसे हालात में जब कार्यकारिणी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाने में असफल हो तो लोगों को सर्वोच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होना ही चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित कर पाने में असफल हुई है कि

कोई भी भूखा न सोए।

मांओं को अपने बच्चों को भूख के साथ जीना सिखाने की नौबत न आए।

भूख और भुखमरी कभी भी न हो।

खाद्यान्न के अर्थतंत्र में लचर प्रबंधन के चलते अनाज का एक भी दाना खराब न हो।

आदिवासी व दलित बच्चों में कुपोषण पर रोक लग सके तथा कुपोषण से शिशुओं की कभी भी मौत न हो।

कोई भी महिला एनीमिया (खून की कमी) से पीड़ित न हो।

बुजुर्ग तथा लाचार, बेसहारा लोगों को अकेले मौत के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

बच्चों को स्कूलों में मध्यान्ह भोजन मुहैया कराया जाए तथा एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत छह वर्ष से कम आयुवर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में आहार मुहैया कराना चाहिए।

दलित बच्चों को सम्मान के साथ भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। मध्यान्ह भोजन योजना के लिए दलित व आदिवासी रसोइए की नियुक्ति के समय किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

बाजार में भोजन की उपलब्धता खरीदने योग्य दामों में होनी चाहिए।

यह बेहद दुर्भाग्यजनक है कि वही प्रधानमंत्री जो कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारी में हो रही देरी को आपात स्थिति के तौर पर लेते हैं, देश में भूख की स्थिति का जवाब देने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं।

राजस्थान पीयूसीएल ने वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका (सिविल रिट पिटीशन 196/2001) लगाकर देश में भूख व भुखमरी की मौजूदा स्थिति के लिए राज्यों की ओर से जवाबदेही तय करने की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक आदेश से यह साफ हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट यह गंभीर मामले को किस परिप्रेक्ष्य में देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा –

> कोर्ट की चिंता यह है कि देश में गरीब तथा कमजोर समुदाय के बेसहारा लोग भूख तथा भुखमरी के शिकार न हों। ऐसा न होने देने की मुख्य जवाबदेही सरकारों की है, वह चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें। यह कैसे होगा, इसकी नीति तय करने की जिम्मेदारी सरकार पर भी छोड़ देनी चाहिए। कुल मिलाकर इससे कोर्ट को संतुष्टि मिलनी चाहिए तथा यह तय होना चाहिए। खाद्यान्न भंडारण के क्षेत्र में भरे हुए गोदाम, खासकर एफसीआई के गोदामों, जो बहुसंख्या में हैं, में भरे अनाज को किसी भी हालत में बरबाद करने, समुद्र में फेंकने या फिर चूहों को खिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बिना किसी क्रियान्वयन के महज नीतियों का होना कोई मायने नहीं रखता। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन भूखे तक पहुंचा दिया जाए। (20 अगस्त 2001 को दिया गया आदेश)

इस आदेश के ठीक 10 साल बाद फिर वही स्थिति बनी है यानी अनाज गोदामों में भरा पड़ा है और खुले आसमान के नीचे पड़ा सड़ रहा है पर लोग भूखे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 और 31 अगस्त 2010 को सरकार को यह अनाज गरीबों को बांटने को कहा, पर सरकार ने कहा कि यह नीति का मामला है और सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर!!

यह तथ्य कि नौ लंबे वर्षों की अवधि तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के चलते रहने तथा कोर्ट की ओर से 50 प्रभावी आदेशों तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कमिश्नर द्वारा 10 से अधिक रिपोर्ट जमा करने के बावजूद इस समस्या के बने रहने से पता चलता है कि सभी सरकारें देश से भूख व भुखमरी को हटाने में किस कदर नाकाम रही हैं।

हमारा यह मानना है कि लोगों को उसी हालत में कोर्ट जाने पर मजबूर होना पड़ता है जब उनकी चुनी हुई सरकारें अपनी जवाबदेही का त्याग कर देती हैं और यह सुप्रीम कोर्ट का लोकतांत्रिक कदम है कि वह संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए उनके समक्ष की गई अपीलों पर सुनवाई करे। अगर सरकार ने एकीकृत बाल विकास परियोजना के सार्वभौमिकरण की अपनी ही नीति पर अमल किया होता तो कोर्ट को दिसंबर 2006 में यह आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसमें उसने सरकारों को सभी बसाहटों में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने तथा सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। ठीक इसी तरह अगर कड़ाके की ठंड में बेघर, बेसहारा लोगों की मौत रोकने के लिए सरकार की कोई नीति होती तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देने तथा राज्यों को यह आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि बेघर लोगों को आश्रय (जनवरी, 2010) मुहैया कराया जाए। अगर सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हो रही बंदरबांट, लीकेज को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए होते तो सुप्रीम कोर्ट को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए केंद्रीय निगरानी समिति गठित करने (जुलाई 2006) तथा सुधार के सुझावों को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सरकार ने यह सुनिश्चित किया होता कि बच्चों को भोजन की आपूर्ति में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि पोषाहार की आपूर्ति के कामों से निजी ठेकेदारों को प्रतिबंधित (अक्टूबर 2004) किया जाए। अगर सरकार ने अपनी ही नीति के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को हर माह 35 किलोग्राम अनाज मुहैया कराया होता तो सुप्रीम कोर्ट को जनवरी 2008 में यह आदेश देने की कोई जरूरत नहीं होती कि बीपीएल परिवारों को हर माह 35 किलो अनाज हासिल करने के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं।

हमारे नीति निर्धारक तथा राजनीतिक अर्थशास्त्रियों को यह जरूर महसूस करना चाहिए कि दुनिया की दूसरी सर्वाधिक ताकतवर आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रही देश की अर्थनीति की असलियत यह है कि यहां हर तीन में से दो महिलाएं एनीमिक हैं, आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, एक तिहाई महिलाएं व पुरुष कम बीएमआई (बॉडी मॉस इंडेक्स) के शिकार हैं, हमारे यहां कुपोषण की दर अफ्रीका के कई युद्धपीड़ित देशों से भी बदतर हालत में है और हमारा देश वैश्विक भुखमरी सूचकांक में शामिल 88 देशों में 66वें नंबर पर है। यानी हम ऐसे राजा हैं जिसके पास कपड़े तक नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में जहां हम खाद्यान्न के कम उत्पादन के प्रति अपनी चिंता जताते हैं, दालों की गिरती उपज और तिलहन उत्पादन के एक ही जगह अटके रहने पर व्यथित हो जाते हैं। संपादकों को यह सलाह देना कि गरीबी उन्मूलन का एकमात्र तरीका यह है कि और अधिक लोगों को कृषि क्षेत्र से बाहर किया जाए, ईशनिंदा से कम

नहीं है। प्रधानमंत्री की चिंता भी कृषि पर निर्भर देश की 60 प्रतिशत आबादी की आजीविका को बचाने की तुलना में कारपोरेट सेक्टर के प्रति पहुंच बनाने की ज्यादा दिखाई देती है।

भोजन के लिए अधिकार अभियान इस बात पर फिर से जोर देता है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़े अतिरेक अनाज को अविलंब अंत्योदय अन्न योजना के तहत बांटा जाए तथा इसमें भूमिहीन मजदूर, छोटे व सीमांत किसान, झुग्गी–झोपड़ीवासी, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों को भी शामिल किया जाए। इनकी पहचान भारत सरकार के 2004 में अंत्योदय अन्न योजना के संदर्भ में दिए गए आदेश में की गई है। इसी आदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार देश के 150 गरीबतम जिलों (जिनकी पहचान राष्ट्रीय) तक करने का जिक्र भी किया गया है।

इसके अलावा हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकरण की ओर भी बढ़ना ही होगा, साथ ही कृषि को बढ़ावा देने के तरीके विकसित करने होंगे, विकेंद्रित खरीद, स्थानीय भंडारण, वितरण तथा भूख से संबंधित किसी भी लापरवाही को आपराधिक कृत्य मानने के प्रयास किए जाएंगे; इसे मानव हत्या से कतई कम नहीं माना जाएगा। अगर हम केंद्रीय सरकार द्वारा कारपोरेट आयकर, व्यक्तिगत आयकर, एक्साइज तथा कस्टम पर वर्ष 2009–10 में 5,02,299 करोड़ रुपयों की छूट का उल्लेख करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण न करने का कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

व्यवस्था जवाबदेही और पारदर्शिता

> हमारी राय में बुजुर्गों, अशक्तों, विकलांगो, भुखमरी की शिकार दरिद्र महिलाओं– दरिद्र पुरूषों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं तथा दरिद्र बच्चों (खास कर उन मामलों में जिनमें वे या उनके परिवार के सदस्य उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की आर्थिक स्थिति में न हों) को भोजन उपलब्ध कराना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अकाल की हालत में भोजन की कमी हो सकती है लेकिन यहां तो प्रचुरता के बीच अभाव है। प्रचुर भोजन उपलब्ध है लेकिन वह बहुत गरीब लोगों तथा दरिद्रों तक वितरित नहीं हो पाता है; इससे कुपोषण भुखमरी तथा अन्य सम्बधित समस्यायें पैदा हो जाती हैं। **(23 जुलाई 2001का आदेश)**
>
> प्रत्येक राज्य तथा सभी केन्द्र शासित प्रदेशों का संवैधानिक दायित्व है कि वह 28 नवम्बर 2001 के आदेशों में निहित निर्देशों को शब्दशः उसकी मंशा को पूर्णतः लागू करें। **(20 अप्रैल 2004 का आदेश)**
>
> सभी सार्वजनिक दस्तावेज, मय मस्टररोल के उन लोगों को, जो उन्हें चाहते हों, दस्तावेजों को उपलब्ध करवायें। इसके लिये फोटोकॉपी के बराबर ही कीमत वसूली जाये। **(20 अप्रैल 2004 का आदेश)**
>
> भारत सरकार तथा राज्य सरकारें अपनी प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाएंगी ताकि अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ मिलता रहे। **(27 अप्रैल 2004 का आदेश)**

ग्रामसभा के अधिकार

सभी खाद्य / रोजगार कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण और कोष के दुरूपयोग के हर मामले को अधिकारियों को सूचित करने का ग्रामसभाओं को अधिकार है। ये शिकायतें प्राप्त होने पर सम्बद्ध अधिकारी उनकी जाँच कर कानून के अनुरूप उचित कार्यवाही करेंगे। **(8 मई 2002 का आदेश)**

ग्रामसभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अमल की निगरानी करने का अधिकार दिया जाता है। इसके लिये उन्हें लाभार्थियों के चयन तथा लाभों के वितरण सम्बन्धी सभी सूचनायें उपलब्ध कराई जायेंगी। ग्रामसभायें अपनी शिकायतें उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत उठायेंगी और इन शिकायतों का निपटारा इस प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा। **(8 मई 2002 का आदेश)**

अफसरों की जिम्मेदारी

इस अदालत के आदेशों के उल्लंघन के बारे में जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) / कलेक्टर को शिकायत करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी / कलेक्टर इस शिकायत के प्रमुख तत्वों को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा जो इसी उद्देश्य से रखा जायेगा। वह इस शिकायत की रसीद भी देगा और इस अदालत के आदेश का बगैर देरी के पालन सुनिश्चित करेगा। **(8 मई 2002 का आदेश)**

इस अदालत के आदेश लागू कराने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ) / कलेक्टर की होगी। मुख्य सचिव इस अदालत के आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। **(8 मई 2002 का आदेश)**

अगर अब न्यायालय के आदेशों को मनवाने में लापरवाही बरती गई तो इसके लिये राज्यों के मुख्य सचिव और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिम्मेदार होंगे। **(29 अक्टूबर 2002 का आदेश)**

प्रत्येक राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का कर्तव्य है कि वे भूख या कुपोषण से होने वेाली मौतों की रोकथाम करें। अगर कमिश्नर ऐसी कोई रिपोर्ट देते हैं और न्यायालय को भी लगता है कि वाकई में कोई भूख से मौत हुई है तो माना जायेगा कि आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तथा इसके लिये राज्यों के मुख्य सचिव तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक को जिम्मेदार माना जायेगा। **(29 अक्टूबर 2002 का आदेश)**

सभी सार्वजनिक दस्तावेज, मय मस्टररोल के उन लोगों को, जो उन्हें चाहते हों, दस्तावेजों को उपलब्ध करवायें। इसके लिये फोटोकॉपी के बराबर ही कीमत वसूली जाये। **(20 अप्रैल 2004 का आदेश)**

सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त/सलाहकार

इस शिकायत निवारण प्रक्रिया के बावजूद यदि किसी शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो इसे

देखने के लिये पूर्व योजना सचिव डॉ. एन. सी. सक्सेना और भारत सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास सचिव श्री एस.आर. शंकरन इस अदालत के आयुक्त के तौर पर काम करेंगे। **(8 मई 2002 का आदेश)**

ये आयुक्त अदालत के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये यदि कोई सुझाव देंगे तो राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन इन सुझावों पर अविलंब कार्यवाई कर आदेश पालन की सूचना देंगे। **(8 मई 2002 का आदेश)**

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नरों का काम है कि वे अदालत के आदेशों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी उपायों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से अदालत को अवगत कराते रहें। **(29 अक्टूबर 2002 का आदेश)**

सम्बन्धित राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे कमिश्नरों के सहयोग के लिए सरकारी अधिकारियों के असिस्टैण्ट के रूप में नियुक्ति करें। यह काम भी आठ सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए। इन असिस्टैण्टों की नियुक्ति राज्यों के मुख्य सचिव एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक डा. एन.सी. सक्सेना के परामर्श के तहत करेंगे। **(29 अक्टूबर 2002 का आदेश)**

जो भी असिस्टैण्ट नियुक्त किए जाएंगे उनका दायित्व होगा कि वे कमिश्नरों को दिए गए दायित्व के निर्वहन में यथावांछित सहयोग करें। (29 अक्टूबर 2002 का आदेश)

योजनायें बंद नहीं होंगी

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा कि हम निर्देश देते हैं कि ऐसी कोई भी योजना जो इस न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत आती हो, उन्हें इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना न तो बन्द किया जाये न किसी भी प्रकार से उनका दायरा या लाभ सीमित किये जायें। **(27 अप्रैल 2004 का आदेश)**

पारदर्शिता और सूचना का अधिकार

सभी सार्वजनिक दस्तावेज, मय मस्टररोल के उन लोगों को, जो उन्हें चाहते हों, दस्तावेजों को उपलब्ध करवायें। इसके लिये फोटोकॉपी के बराबर ही कीमत वसूली जाये। **(20 अप्रैल 2004 का आदेश)**

सभी खाद्य/रोजगार कार्यक्रमों के हर मामले में ग्रामसभाओं को सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार है। **(8 मई 2002 का आदेश)**

चौथा हिस्सा

संघर्ष की प्रक्रिया

भोजन के अधिकार के न्यायिक संघर्ष की प्रक्रिया में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हमें अंतरिम आदेशों के रूप में बहुत सी धारदार संभावनायें उपलब्ध करवाई हैं; पर इन संभावनाओं को जमीन पर उतारने के लिये एक प्रक्रियागत् संघर्ष की अब भी जरूरत है। विगत आठ वर्षों के दौरान हुये अनुभवों से कुछ कदमों को चिन्हाकिंत किया है। यही बिन्दु हम आपसे बांट रहे हैं –

बुनियादी जरूरत

सबसे बुनियादी जरूरत तो यह समझ लेना है कि आखिर हम किसके अधिकारों और किसके संकट के लिए सक्रिय हैं। यदि बात भुखमरी और गरीबी के संदर्भ में है तो निःसंदेह सरकार द्वारा चलाई जा रही खाद्यान्न योजनायें, सुरक्षा और रोजगार योजना के बेहतरीकरण के लिये काम करना बेहद मायने रखता है।

अपने कार्यक्षेत्र में गरीबी और भुखमरी के स्वरूप को पहचानें।

राजनीति और राजनीतिक दलों के नज़रिये को परखें और उनकी भूमिका पर खुली बहस करें।

योजना के बारे में हर तरह की और नवीनतम जानकारी अपने पास रखें।

समझ की जरूरत और जानकारी का उपयोग

हालांकि इसी दस्तावेज में सरकार की कुछ अहम् योजनाओं के प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है परंतु यदि हम वास्तव में व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं तो इन योजनाओं को और ज्यादा गहराई से अलग–अलग पक्षों के साथ समझने की जरूरत है। इसके लिए सरकारी विभागों के कार्यालयों से उन योजनाओं से जुड़े आदेश एवं निर्देश प्राप्त करके उनका अध्ययन किया जा सकता है। यह भी सही है कि अब इन तमाम योजनाओं के बारे में अब सहज और सरल भाषा में प्रवेशिका और अन्य पुस्तिकायें उपलब्ध हैं।

अब योजनाओं की जानकारी का उपयोग जमीनी वास्तविकता को जांचने के लिये करें। यह याद रखे कि योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी और ज्ञान होने का कोई मतलब नहीं है यदि हम उनका मतलब, महत्व और उपयोगिता नहीं समझ पाते हैं।

यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के प्रावधान क्या हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश क्या हैं। और वास्तव में गांव में समाज के स्तर पर हो क्या रहा है?जो लोगों की पात्रतायें हैं वह मिल रही हैं या नहीं ?इसी तरह से नियम – प्रावधानों के तहत एक–एक बिन्दु को याद रखते हुये योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर डालना चाहिये।

जानकारी बांटें और प्रक्रिया चलायें

हम स्थानीय समुदाय के संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के साथ काम कर रहे हैं, क्या हमने इन योजनाओं के प्रावधानों के बारे में उन्हें बताया? यदि नहीं तो यह बेहद जरूरी है कि समुदाय और गांव के समूहों के साथ बैठकर यह जानकारी आपस में बांटी जाये!!

अब हमें दो स्तरों पर काम करने की जरूरत है। पहला स्तर यह है कि जिन लोगों को पात्रता होने के बाद भी इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है हम तब उनकी पहचान का काम करें। उनके आवेदन और शिकायतें तैयार की जायें और ग्राम पंचायत को औपचारिक रूप से क्रियान्वयन के लिये प्रेरित किया जाये। अब मसला एक व्यक्ति के लाभ का नहीं है बल्कि उसके अधिकारों का है इसलिये हम यह प्रक्रिया अधिकारपूर्ण तरीके से चलायें।

हर शिकायत का प्रमाण हो

हर तरह के आवेदन और शिकायतें या शपथ पत्र सामूहिक रूप से तैयार किये जायें ताकि यह समुदाय का मुद्दा बन सके। संभव है कि जब आप एक वृद्ध के लिये वृद्धावस्था पेंशन की बात करेंगे तो ''व्यवस्था'' उसे सकारात्मक उत्तर न दे या नकार दे, धमका दे परन्तु जब समूह में आवाज उठायेंगे तो ध्वनि तेज होगी और दूर तक जायेगी।

हमारे पास हर शिकायत का प्रमाण होना चाहिये।

ग्रामसभा बने केंद्र

जहां भी यह नजर आता है कि योजना के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है वहां ग्रामसभा की बैठक करके कार्यवाही के लिये प्रस्ताव पारित करें। यह एक संवैधानिक संस्था है और कार्यवाही की मांग करना उसका अधिकार।

प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे

यदि स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्यवाही न हो तो सामूहिक आवेदन दें। शिकायतें और शपथपत्र जिला कलेक्टर को भेजें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इन तमाम योजनाओं के सही क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है। और वह इन योजनाओं के सम्बन्ध में आने वाली शिकायतों की जानकारी रखने के लिये एक विशेष रजिस्टर रखेगा। इस रजिस्टर में खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सम्बधित तमाम आवेदनों की जानकारी और क्रियान्वयन दर्ज किया जायेगा।

यदि 15 दिनों के भीतर कलेक्टर के स्तर पर कार्यवाई नहीं होती है तो इसके बाद हम अपना आवेदन/ शिकायत सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के राज्य सलाहकार को भेजें। हमें अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यदि एक स्तर पर समस्या हल नहीं होती है तो हम अगला कदम अगले स्तर पर जरूर उठायें।

सर्वोच्च न्यायालय के राज्य सलाहकार के पत्र/ रिपोर्ट पर भी यदि निर्धारित समयावधि में कार्रवाई नहीं है तो अगले कदम पर यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के स्तर पर उठाये जा सकते है; बल्कि उठाये ही जाने चाहिये।

इस तरह की प्रक्रिया में हम जब भी आवेदन देकर या शिकायत करके मामले उठाते हैं तो हर मर्तबा उसकी पावती जरूर ली जाना चाहिये ; क्योंकि यह एक अधिकारों के संघर्ष की कानूनी प्रक्रिया है।

मुद्दे को व्यापक बनायें

अगर हम एक बड़े इलाके में काम करते हैं तो गांवों के एक समूह के स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजनाओं की विसंगतियों और गड़बड़ियों को रिपोर्ट का रूप दें। आवेदन करें। बात करें। इस तरह उठाई गई शिकायतों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है और भ्रष्टाचार के व्यापक प्रभावों को ठोस रूप में सामने रखा जा सकता है।

जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसदों को साथ लें

हमारे आस–पास ही हमारे अपने जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद हैं। जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसमें इन्हें जरूर शामिल करें। इन्हें हमने चुना है और इन्होंने हमारे अधिकारों के संरक्षण का वायदा किया है। जब भी कोई विसंगति आती है या भ्रष्टाचार के बारे में पता चलता है तो अपने विधायक से सम्पर्क करें और संभव हो तो उनसे विधानसभा में मुद्दे उठाने को कहें; इससे वंचितों के पक्ष में बेहतर वातावरण बन पायेगा।

विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा निभाई गई भूमिका को भी अपनी चर्चाओं में स्थान दें, जैसे– मीडिया को बतायें कि उनके द्वारा भी ये मुद्दे उठाये गये।

मीडिया के साथ सतत् संवाद हो

अब हम ऐसे स्तर पर हैं जहां मीडिया के साथ सतत् संवाद की जरूरत है। कोई शिकायत हो चाहे न हो, पर जमीनी स्थितियों के बारे में मीडिया को बताते रहें। याद रखें मीडिया से संस्था/ संगठन के प्रचार की उम्मीद न रखें, न ही अपेक्षा। हमारे लिये मुद्दा महत्वपूर्ण है!!

लगातार नज़र रखें

हम जब भी सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों/सलाहकार को अपने मुद्दे भेजते हैं, तो वे राज्य के विभागीय/प्रशासनिक अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश देते हैं। आमतौर पर यह समयावधि एक माह की होती है। अतः अपने कार्यक्षेत्र में इस बात पर नजर रखे हैं कि आपके समूह/संगठन द्वारा उठाये गये मुद्दों पर कोई बदलाव आ रहा है या नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में आयुक्तों/सलाहकारों को जरूर सूचित करें। संवाद बना रहना चाहिये। यह एक प्रक्रिया है, इसे सफलता या असफलता में न तौलें।

मुद्दों पर आधारित इस संघर्ष की प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संस्थाओं, संगठनों और अभियान के साथ एक सघन जुड़ाव बनना चाहिये। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारों के संघर्ष में अकेले न तो खड़े रहा जा सकता है न ही आगे बढ़ा जा सकता है। अतः इसे अपनी कार्यशैली का हिस्सा बना लिया जाये तो ही बेहतर है।

सामुदायिक जांच करें

यदि किसी मोड़ पर खाद्य सुरक्षा से जुड़े मसले पर यदि कोई बड़ा मुद्दा या घटना सामने आती है तो उस पर एक जाँच दल बनाकर वास्तविक स्थिति पर तथ्यपरक रिपोर्ट तैयार की जाना चाहिये। इस जाँच दल में अलग–अलग क्षेत्रों / संस्थाओं और क्षमताओं के प्रतिनिधि हो सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी इलाके में बच्चों की मौतों की घटनायें सामने आती हैं तो यह जांचना जरूरी है कि क्या कुपोषण इसका कारण है? इसे जाँचने के लिए हमें उन परिवारों, समुदाय और गांव की खाद्य असुरक्षा की स्थिति के साथ–साथ आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विश्लेषण का काम करना होगा। शपथपत्र लेने होंगे; स्वयं को बच्चों का कुपोषण जांचना होगा ताकि आंगनबाड़ी के रिकार्ड से उनका मिलान किया जा सके। पोषण आहार की आपूर्ति के साथ–साथ स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की भी जाँच करना होगी।

मुद्दे को फैलायें

खाद्य असुरक्षा, भुखमरी और कुपोषण से सम्बन्धित मुद्दे मानव अधिकार आयोग, राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, सम्बन्धित विभागों के मंत्री एवं सचिवों को भेजे जाने चाहिये और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बारे में खुले मंचों पर चर्चा करें। आखिर यह जवाबदेहिता का सवाल है।

इस प्रक्रिया में जन सुनवाई एक कारगर हथियार है। जब हम विसंगतियों को नीति और व्यवस्था के स्तर पर उठाना चाहते हैं तब तीन काम कर सकते हैं –

1. स्थिति का अध्ययन करके जानकारी का पुख्ता आधार तैयार करना।
2. समुदाय के साथ बैठकर उनका विश्लेषण करना और कार्यवाही का सामूहिक निर्णय लेना।
3. जिम्मेदार विभाग या कहें कि सरकार को बुलाकर उनके सामने वास्तविकताओं को रखना।

इन संघर्षों में हम पाते हैं कि

समाज और व्यक्ति के जीवन से जुड़े मुद्दे पर आम आदमी एकजुट होता है। बशर्ते हम उसकी स्थिति और सीमाओं को समझ सकें।

अभी भी राज्य और समाज विपरीत दिशाओं में खड़े हुये हैं। यूं तो राज्य के पास अधिकार भी है दायित्व भी परन्तु वह समाज के प्रति जवाबदेह नहीं है। राज्य पूरी तरह से अपारदर्शी है, वह सूचना का अधिकार नहीं देना चाहता है। ऐसी स्थिति में गांव के लोगों की गांव–समाज के विकास में सहभागिता ही नहीं हो पाती है।

परिणाम यह होता है कि जो ताकतवर होता है वह राज्य के करीब होता जाता है और कमजोर लोग समाज के करीब होते जाते हैं। समाज केवल राज्य के निर्देशों का पालन करता रहता है।

ताकतवर वह होता है जिसकी सूचनाओं और जानकारियों तक पहुंच है और जो राज्य की व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

यही कारण है कि सूचना हासिल करना अपने आप में एक कठिन कार्य है।

सामाजिक विकास एक राजनैतिक प्रक्रिया है। इसलिये संघर्ष के क्षेत्र में जरूरी है कि हम राजनैतिक व्यवस्थाओं को अपनी ताकत के बल पर प्रभावित कर सकें।

आमतौर पर राजनैतिक व्यवस्था आम आदमी के हितों को ध्यान में नहीं रखती हैं और उन्हें नजरअंदाज

करती है। इसमें समाज के प्रभावशाली वर्ग और बाजारवादी व्यवस्था के समर्थक उस राजनैतिक व्यवस्था को अपना सहयोग देते हैं, तब हमें दबाव की रणनीति अपनाना पड़ती है।

दबाव की रणनीति का सबसे अहम् हिस्सा है एक समग्र अभियान।

एक अभियान में शामिल होते हैं वे जो मुद्दे या समस्या से प्रभावित हैं, वे जो प्रभावित और वंचित वर्गों के अधिकारों, प्रभावित और वंचित वर्गों के अधिकारों के समर्थक हैं, वे जो व्यवस्था को संवेदनशील बनाने में मदद कर सकते हैं। वे जो नीतियां बनाते और क्रियान्वित करते हैं।

इस अभियान को मजबूत विचारधारा वाले सामाजिक समूह खड़ा करते और आगे बढ़ाते हैं। इस समूह को भलीभांति यह विश्लेषण कर लेना चाहिये कि आम आदमी मुद्दे और मुद्दे के लिए संघर्ष की जरूरत को स्वीकार करता है।

यह कोशिश होना चाहिये कि इस संघर्ष की प्रक्रिया का नेतृत्व लोगों के हाथ में रहे और संस्था इस पर नियंत्रण करने की कोशिश न करें।

संघर्ष के लिये अपनाये जाने वाले उपकरण जनतांत्रिक और अहिंसक होने चाहिये।

राज्य के दमन के सामने संयम ही सबसे सार्थक हथियार होता है।

संघर्ष और दबाव बनाने की प्रक्रिया में स्थानीय समूह और नेतृत्व का शामिल होना जरूरी है।

यह हमेशा ध्यान रखें कि हम गांव के लोगों की समस्यायें जरूर हल करवा रहे हैं परन्तु हमारा लक्ष्य सामाजिक बदलाव है; एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो समस्यामूलक हो, जिसमें परस्पर सम्मान हो, जिसमें सामाजिक मूल्यों के आधार पर व्यवस्थाओं का निर्माण होता हैं।

हम संघर्ष की प्रक्रिया को लोगों के सशक्तिकरण का ज़रिया मानते हैं। जब लोग हर प्रक्रिया में शामिल होते हैं तब वे जंगल, जमीन और अन्य मुद्दों के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्षों का विश्लेषण करते हैं। वे खुद तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है?यहीं से संगठन का निर्माण होना शुरू होता है।

अभियान को सामाजिक बदलाव के लक्ष्य तक ले जाने के लिये जरूरी है कि हम सभी में, ईमानदारी, पारदर्शिता, परस्पर सम्मान और सत्य की भावना हो।

सतत् संवाद ही अभियान को स्थायित्व देता है। यह जरूरी इसलिये भी है ताकि मतभेद मनभेद में परिवर्तित न हों।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागिता बहुत जरूरी है ताकि अच्छे और बुरे दोनों ही परिणामों का दायित्व पूरा समूह ले न कि कोई व्यक्ति विशेष।

बात रखने का तरीका क्या होना चाहिए

उर्जा के साथ बात करना जिससे लोग आपकी बातें स्पष्ट रूप से समझ सकें।

बात करने में अपनी अंदरूनी रूचि लाना।

वास्तविकता को समझकर मार्गदर्शन देना।

लोगों तक बात पहुंचाना बुनियादी प्रक्रिया है।

लोगों से बातें गंभीरता से करनी चाहिए।

कार्य करने के तरीके

गांव के स्तर पर राजनीति बहुत ठोस होती है, लोग कोई भी कदम उठाने से डरते हैं, हमें राजनीति को स्पष्ट रखकर कार्य करना चाहिए।

अपने पक्षों को स्पष्ट रखकर कार्य करना चाहिए।

सरकार के खिलाफ कार्य नहीं करना है, बल्कि सरकारी तंत्र में जो लोग है उनके खिलाफ कार्य करना चाहिए।

सभी लोगों को साथ रखकर कार्य करना चाहिए। लोगों को दिल से जोड़ने की जरूरत है।

समस्याओं से आपकी क्षमतावृद्धि होती है।

गांव का परिस्थिति विशलेषण करना एवं अपने कार्यक्षेत्रों में आत्मविश्वास के साथ काम करना।

व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखकर कार्य करना।

समस्याओं के स्तर को ढूंढकर उसके हल निकालना।

लोगों को साथ लेने से सत्ता बनती है जो बहुत ताकतवर है।

अपने संगठनों को अन्य संगठनों के संवाद के रूप में जोड़ना चाहिए।

भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए सूचना का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है।

इंदिरा आवास, रोजगार आदि योजनाओं में पंचायत में सवाल करना जरूरी है।

लोगों की समस्याओं को समझने के लिए अध्ययन एवं स्वयं को जागरूक बनाना जरूरी है।

सही चीजों का सही समय में इस्तेमाल होना चाहिए।

आवेदन लिखित में देना चाहिए एवं उसकी रसीद एवं पावती अवश्य लेना चाहिए।

संघर्ष के उपकरण हैं

- समस्या को देखना और समझना।
- समस्या को मुद्दा बनने की प्रक्रिया को समझना।
- यह तय करना कि मुद्दा लोकहित का है। (मुद्दे के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्षों का विश्लेषण करना।)
- मुद्दे का ध्येय और लक्ष्य तय करना।
- जानकारियों का संग्रहण और दस्तावेजीकरण।
- मुद्दों की जनवकालत और संघर्ष की प्रक्रिया शुरू करना।

संगठन तैयार करना।

संगठनों का गठबंधन तैयार करना।

मुद्दे को बहस में लाना।

आंदोलन खड़ा करना।

नीतियों के स्तर पर मुद्दे को पहुंचाना (जैसे– विधायिका और कार्यपालिका)

मुद्दे को व्यापक आधार देने के लिये मीडिया, शैक्षणिक संस्थाओं का उपयोग करना।

नीतियों में बदलाव और निर्माण के लिये दबाव की रणनीति अपनाना। (इसके लिए न्यायपालिका, धरना, भूख हड़ताल, रैली का उपयोग करना।)

पांचवा हिस्सा

संघर्ष की प्रक्रिया का एक कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में समाज के गरीब एवं वंचित वर्गों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भोजन का अधिकार अभियान पिछले सात वर्षों से प्रयासरत है। समाज के वंचित वर्गों और गरीबों को जीवन का मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, इनके लिए सरकार ने एक तरफ तो जनकल्याणकारी योजनाएँ बना रखी है तो वहीं दूसरी ओर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम अनाजों से भरे हुये होने के बावजूद भी कई इलाकों में लगातार भूख से मौतें हो रही हैं।

खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए सरकार द्वारा चलायी गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लोगों को 35 किलो राशन मिलना चाहिए पर आज भी लोगों को उनके हक का राशन नहीं मिल रहा है और जो मिल भी रहा है वह घटिया किस्म का गेहूँ है, जिसकी रोटी रबर की तरह खिंचती है व उसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता। हमारे गांवों की आंगनबाड़ी के लिये आने वाला निर्धारित पोषण आहार कहां जाता है पता नहीं! गरीब गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली मातृत्व सहायता योजना और जननी सुरक्षा योजना तो जैसे अमानवीय मजाक बन गई है। रोजगार गारंटी योजना, जिसके लिए मध्यप्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसकी वास्तवविकता यह है कि लोगों को न तो काम मिल रहा है और न ही समय पर मजदूरी। गाँव के निराश्रित एवं वृद्धों के लिए चलायी जा रही वृद्धावस्था पेंशन कई लोगों की तो बंद कर दी गई है व जिन्हें मिलती भी है तो वो भी 2–3 माह में एक बार।

इन जमीनी हकीकतों को देखते हुए ये जरूरत महसूस की जाती रही है कि अलग–अलग क्षेत्रों में इन योजनाओं के तथ्यों को एकत्र करके सरकार एवं जनता के समक्ष रखा जाए। साथ ही एकत्र किए गये तथ्यों का उपयोग किसी जनहित याचिका के तौर पर किया जा सके। इसके लिये एक पूरी प्रक्रिया चलाई जा सकती है। जिससे एक तो जमीनी स्तर की जानकारी मिले दूसरी ओर जानकारियों का विश्लेषण कर उसे सरकार के साथ बांटा जाये और जनसुनवाईयां या कोई और आयोजन कर सरकार पर दवाब बनाया जा सके। इस प्रक्रिया के कई चरण हैं जिन्हें हम इस तरह देख सकते हैं, अध्ययन क्षेत्र में लोगों के साथ संवाद, पद यात्राएं, तथ्य एकत्र करना, जनसुनवाई इत्यादि के माध्यम से अपनी बात लोगों एवं सरकार तक पहुँचाई जा सकती है।

अभियान के तौर पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जितने भी गांवों/बस्तियों में काम कर रहे हैं उतने ही गांवों/बस्तियों का अध्ययन करें और आंकडे एकत्र कर लें। सूचना के अधिकार का उपयोग करें और सूचनाओं को अलग–अलग स्तर पर जांचें। इन सूचनाओं का विश्लेषण विकासखंड व जिले के आंकड़ों के साथ जोड़कर

करें ताकि हमें जिले की सही तस्वीर पता चल सके। इसके बाद यह तय करना महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे को कहां तक व किस रूप में ले जाना चाहते हैं । हमारा अपना अनुभव है कि हमने जब भी किसी भी सवाल को पूरी जानकारी, सही विश्लेषण व सही संदर्भों के साथ उपयोग किया है तब–तब हमने सफलता पाई है। यानी हमने मुद्दे को सही जगह तक पहुंचाने और इस पर जनमानस तैयार कर नीतिगत स्तर पर बदलाव की एक श्रंखला को उपयोग किया है और परिणाम पाया है। यह पूरा प्रयोग एक प्रक्रिया के तहत ही चलता है जिसे हम एक दूसरे के साथ जोड़कर ही देख सकते हैं। आइये जानें इस प्रक्रिया को।

प्रक्रिया

1. प्रशिक्षण

योजनाओं के विभिन्न पक्षों को समझने के लिये चलाये जाने वाले अभियान क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया जायेगा। इस प्रशिक्षण का मकसद यह नहीं है कि जब हम एक तार्किक प्रक्रिया चलाने जा रहे होते हैं तो हमें मुद्दे का केवल एक ही पक्ष देखना चाहिये बल्कि उसके कानूनी और योजना सम्बन्धी प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन भी करना चाहिये।

इसके लिये दो/तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाये जिसमें संस्था प्रमुख और कार्यकर्ता भी शामिल हों। इसी दौरान प्रतिभागियों को योजनाओं/विषय से संबंधित सामग्री दी जाये। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यतः योजनाओं के प्रावधान, अभियान की रूपरेखा और अध्ययन की तकनीकों पर संवाद सत्र आयोजित किये जायें ।

2. संवाद

सबसे पहला चरण गांव में जाकर समुदाय के साथ संवाद करना होगा। इसी दौरान हर गांव का एक स्थिति पत्रक तैयार किया जायेगा ताकि आगे के अभियान की धरातल आधारित वास्तविक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। समुदाय से संवाद करते हुये अभियान की संभावना को भी मापा जायेगा।

3. पदयात्रा

अगला चरण पदयात्रा का होगा। कार्ययोजना में हमे यह स्पष्ट करना होगा कि केवल कानून और योजना की विसंगति या गड़बड़ी पर ही बात न हो बल्कि हमें रचनात्मक भूमिका निभाते हुये समुदाय को जागरूक भी करना होगा। अभियान के दौरान गांवों में पदयात्रा निकाली जानी चाहिये। पदयात्रा के दौरान समुदाय को योजना के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाये। पॅम्पलेट बांटे जायें, पोस्टर चिपकाये जायें, नुक्कड़ नाटक आदि किये जायें।

4. अध्ययन / आंकड़े इकट्ठे करना

जागरूकता के साथ योजनाओं की धरातलीय स्थिति को व्यापक मंचों के समक्ष लाने के लिये प्रमाणित जानकारियां इकट्ठी की जाये, इसके लिये सर्वेक्षण प्रपत्र के माध्यम से सर्वेक्षण भी करेंगे। अलग–अलग तरह के अध्ययनों के लिये अलग–अलग सर्वेक्षण प्रपत्र तैयार किये गये हैं, जो कि विभिन्न जगहों पर उपलब्ध है। कुछ जानकारियों को सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुये भी लिया जा सकता है। समुदाय से संवाद करने के साथ गांव/नगर के विभिन्न पक्षों जैसे सरपंच और पंचायत सचिवों/पार्षद या फिर गांव/नगर के की रिसोर्स पर्सन आदि से भी बातचीत कर सूचनायें एकत्र की जायें।

5. स्थानीय जनसुनवाई

गांव–गांव पदयात्रा करने, संवाद करने और जानकारियां इकट्ठी करने के बाद यह जरूरी है कि हम उन वास्तविकताओं को स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से बांटें। इसके लिये स्थानीय स्तर पर जनसुनवाईयों का आयोजन किया जाये, जिनमें गांवों/क्षेत्र के लोग स्वयं आकर मंच से अपनी परिस्थितियाँ बयान कर सकें। इन जनसुनवाईयों में सरपंच, तहसीलदार, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मीडियाकर्मी, विधायक और सांसद सदस्यों आदि को शामिल किया जायेगा।

6. जनहित याचिका की तैयारी

प्राप्त जानकारी व तथ्यों का विश्लेषण करने के उपरांत तैयार ऐसी भी की जाये कि उस जानकारी का उपयोग जनहित याचिका लगाने के लिये किया जा सकता है। जनहित याचिका के लिए क्षेत्रवार विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शपथपत्र एवं आंकड़े एकत्र करके सचिवालय को भेजा जायेगा तो बेहतर होगा । सचिवालय से सभी क्षेत्रों की जानकारी का संकलन कर प्रदेशस्तरीय जनहित याचिका लगाई जा सकती है।

7. मीडिया के साथ मुद्दों की पैरवी

संवाद के दौरान उभरे हुए मुद्दों/संकलित जानकारियों, केस स्टडीज आदि को मीडिया के साथ बांटने का कार्य किया जाये, ताकि सवाल उठ सकें ।

8. दस्तावेजीकरण

योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अलग–अलग पक्षों की प्रामाणिक जानकारी और तथ्य सामने लाने के लिए समय–समय पर केस अध्ययन लिखने एवं कार्यक्रम के अंत में दस्तावेज तैयार करने का कार्य किया जाये।

9. फालोअप एवं समन्वयन

इन प्रक्रियाओं के दौरान उभरे हुए मुद्दों का लगातार फालोअप करके सचिवालय को जानकारी भेजने का कार्य करें, साथ ही सचिवालय के साथ समन्वयन स्थापित करने का कार्य भी करें ताकि अनुवर्तन करने में आसानी हो।

सूचना का अधिकार

संघर्ष की प्रक्रिया में सूचना के अधिकार को हम एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे यदि हमारे पास जानकारी होगी तो हम अपना पक्ष बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हम यहां पर सूचना के अधिकार के संदर्भ में बुनियादी बातों की चर्चा कर रहे हैं।

सूचना के अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत हम किसी भी सरकारी दफ्तर से अपने काम की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

इसके लिए हर सरकारी दफ्तर में एक लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

लोक सूचना अधिकारी के विषय में जानकारी एक बोर्ड के माध्यम से दफ्तर में लगी हुई होगी जिसमें कि उसका नाम और कमरा नं. लिखा होगा।

अपने काम की सूचना मांगने के लिए हमें लोक सूचना अधिकारी को सादे कागज पर आवेदन देना होगा। ध्यान रखें आवेदन में अपना नाम, पूरा पता, चाही गई जानकारी, दिनांक होना चाहिए।

आवेदन की पावती लेना न भूलें।

आवेदन के साथ 10 रूपये नगद या 10 रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प लगाना जरूरी है

बी.पी.एल. में आने वाले पारिवार के लिए यह शुल्क माफ है।

आवेदन दफ्तर में जाकर या फिर रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा जा सकता है। रजिस्टर्ड डाक की रसीद पावती का काम करेगी।

आवेदन देने के 30 दिन के अंदर लोग सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध करायेंगे।

सूचना 2 रूपये प्रतिपेज के हिसाब से दी जायेगी। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति को 50 पृष्ठ तक सूचनाएं मुफ्त में दी जाती हैं।

सूचना के अधिकार के अंर्तगत हम कसी भी काम का निरीक्षण, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण,

दस्तावेजों – अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, फ्लापी, डिस्केट, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई सूचना उपलब्ध है तो उसे प्राप्त कर सकते हैं।

सूचना से असंतुष्ट होने पर आवेदक प्रथम अपील कर सकता है।

प्रथम अपील की सुनवाई हेतु हर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

30 दिन के बाद सूचना मिलने पर सूचना निःशुल्क मिलेगी।

प्रथम अपील के लिए आवेदक को आवेदन के साथ 50 रूपये नकद या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प लगाना जरूरी है। यह शुल्क भी बी.पी.एल. कार्ड धारियों को नहीं देना होगा।

प्रथम अपील लगाने के 30 दिन के अंदर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना होगा।

30 दिनों के पश्चात भी सूचना न मिलने पर द्वितीय अपील की जा सकती है। यह अपील सूचना आयोग में की जायेगी। इसके लिए राज्य में एक आयोग का गठन हुआ है जिसके लिए एक आयुक्त नियुक्त किये गये हैं।

द्वितीय अपील के लिए व्यक्ति को आवेदन के साथ 100/– नकद या नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प लगाना होगा। यह शुल्क बी.पी.एल. वालों के लिए नहीं हैं।

द्वितीय अपील का निर्णय अंतिम होगा। आयोग के निर्णय से संतुष्ट न होने पर आवेदक हाई कोर्ट जा सकता है।

कोई भी गैर सरकारी संगठन जिसकी वार्षिक आय का 50 हजार रूपये या उससे अधिक सरकार द्वारा वित्त पोषित है वह संस्थाएं भी सूचना के अधिकार के दायरे में आयेंगी।

हर सरकारी/ गैर सरकारी संस्थाएं जो सूचना के अधिकार के दायरे में आती हैं उन्हें अपने कार्यों/ जिम्मेदारियों से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं में जानकारी जनता के सामने रखनी होगी।

यदि सूचना एक विभाग के किसी अन्य प्राधिकारी से सम्बन्धित है तो उस आवेदन को 5 दिन के अंदर अंतरित करना होगा।

यदि मांगी गई सूचना किसी की जान से सम्बन्धित है तो वह सूचना 48 घंटे में मिलेगी।

अगर सूचना सीडी/फ्लापी में चाहिए तो 50 रूपये का शुल्क जमा करना होगा।

वह सूचना नहीं दी जायेगी जिससे देश की प्रभुता और अखंडता को फर्क पड़ता हो।

प्रमुख सम्पर्क

भोजन का अधिकार अभियान

सुश्री कविता श्रीवास्तव
पी यू सी एल
76, शान्ति निकेतन कॉलोनी, किसान मार्ग
जयपुर 302015
फोन : 0141–2706483
ईमेल– kavisriv@yahoo.com

श्री कोलिन गोंनसाल्विस
ह्यूमन राईट लॉ नेटवर्क,
576, मस्जिद रोड़, जंगपुरा,
नई दिल्ली 110014
मो. 09810615811

भोजन का अधिकार अभियान सचिवालय
C/o- PHRN
5 ए , जंगी हाउस, शाहपुर जाट (खेल गांव)
नई दिल्ली–110049
फोन – 011– 26499563
ईमेल : - righttofood@gmail.com
www.righttofoodindia.org

सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त का पता

कमिश्नर ऑफिस
(सुप्रीम कोर्ट केस क्र. 196 / 2001)
बी–102 / ए, प्रथम तल सर्वोदय इनक्लेव,
नई दिल्ली 110017
ईमेल . commissoners@vsnl.net
www.sccommissioners.org
फोन : 011 26851339, फेक्स : 011 41829631

सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त
डॉ. एन सी सक्सेना

सर्वोच्च न्यायालय के विशेष आयुक्त
श्री हर्ष मन्दर

राष्ट्रीय सलाहकार
श्री बिराज पटनायक (biraj.patnaik@gmail.com)

सलाहकार (पोषण)
डॉ. वीणा शत्रुघ्न
(veenashatrugna@yahoo.com)

सलाहकार (बाल पोषण)
सुश्री दीपा सिन्हा (dipasinha@gmail.com)

राज्य सलाहकार

मध्यप्रदेश

श्री सचिन कुमार जैन
ई–7 / 226, (प्रथम तल) धनवन्तरी काम्पलेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल, म.प्र.
फोन : 0755– 4252789, मो–09977704847
ईमेल : india.sachinjain@gmail.com,
vikassamvad@gmail.com

सुश्री ज्योत्सना जैन
समाज प्रगति सहयोग
गांव जटाशंकर, तह. बागली, जिला देवास–27
फोन : 07271–275757, 275550
मो. : 09893078758
इ मेल : jyojyojain@gmail.com,
core@samprag.org

बिहार

श्री रूपेश
कोशिश चैरेटिबल ट्रस्ट
आबदिन हाउस, फ्रेजर रोड, पटना – 800001
फोनः 0612–2207912, मो 09431021035
ईमेल : koshish_pt@yahoo.com

महाराष्ट्र

श्री जोस एंटोनी जोसेफ
जमशेद जी टाटा सेन्टर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेन्ट
जल और मालती नौरोजी कैम्पस
टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस
पो.बा. नं– 8313, वी. एन. पूरव मार्ग
देवोनार, मुम्बई – 400088
फोन : 022–2552587, मो. 09820990961
ई. मेल : mahaadvisor@gmail.com

असम

डॉ. सुनील कौल
दी एन्ट (एक्शन नार्थ ईस्ट ट्रस्ट)
उदंगश्री डेरा रोमारी
पो – खागराबारी, वाया बोनगाय गांव
जिला– चिरांग– (BTAD) 783380, असम
मो. 09435122042
ई–मेल : sunil.theant@gmail.com

सुश्री अंजु तालुकदार
अवेलन हाउस
नं. 40 मंदिर रोड़ जू नारंगी रोड़
गीता नगर, गोवाहाटी– 781024
फोन 09864034505
ईमेल : anjutalukdar@yahoo.com

नागालैंड

श्री चिंगमैक चंग
एलथैरिस क्रिशच्यन सोसायटी
पो. बॉक्स नं. 51, सुनसेंग– 798612, नागालैंड
फोनः 03861– 220127(का), 220319(नि),
मो.– 09436007263
ईमेल : phutoc@yahoo.co.in

उड़ीसा

सुश्री विद्यादास
अग्रगामी, पो– काशीपुर– 765015
जिला – रायगढ़, उड़ीसा
मो. 094379 60401
ईमेल : vjatkspr@gmail.com,
agragamee@satyam.net.in

श्री राजकिशोर मिश्रा
प्लाट नं – 123, वीआईपी एरिया, नया पल्ली
भुवनेश्वर
उड़ीसा– 751015
फोन : 0674–2551227, मो. 09437047270
ईमेल : rajkishormishra@gmail.com

छत्तीसगढ़

श्री समीर गर्ग
आदिवासी अधिकार समिति
C/o- संग्राम एक्सरे, सी.एच.एम. रोड़, मनीन्दगढ़
जिला कोरिया, छत्तीसगढ़
फोन नं. 07771–244105, मो. 9425583395
ईमेल : koriya@gmail.com

गुजरात

श्री गगन सेठी
ईमेल : gssethi@gmail.com

प्रो. इन्द्रा हिरवे
निदेशक एवं अर्थशास्त्र प्राध्यापक
सेंटर फॉर डेवलपमेंट अलटरनेटिव्स
ई–71, आकाश टॉवर्स, बोदकदेव,
अहमदाबाद–380054
फोनः 079–26844240
ईमेल : indira.hirway@cfda.ac.in

सुश्री सेजल आनंद दाण
आनंदी
बी–4/1, शाहजनांद टॉवर, जिवराज पार्क,
क्रास रोड, अहमदाबाद – 380051, गुजरात
फोन : 079–26820860, मो. 09426703587
ई–मेल : sejaldand@gmail.com,
assagujarat@gmail.com

झारखण्ड

श्री बलराम
5 ए, संध्या टॉवर
घराना प्लेस पुरलिया रोड़, रांची– 834001
फोन : नं. 09934320657
ई–मेल : balramjo@gmail.com

मेघालय

श्री तरूण भारतीय
C/o डॉ. एम एस दुन, लिली कॉटेज
हरिसभा लबान, शिलांग– 793004
मो.– 09863061770, 09863097754
ईमेल : thefreedomproject@rediffmail.com

राजस्थान

श्री अशोक खण्डेलवाल
सी–217, तिलक नगर, जयपुर – 302004
मो. 09968249247
ई–मेल : ashokko@rediffmail.com

डॉ. गिन्नी श्रीवास्तव
समन्वयन निदेशक
आस्था, 35 खरोल कॉलोनी
उदयपुर, 313004, राजस्थान
फोन नं. 0294– 2451348, 2450212,
मो. 09414164512
ई–मेल : ginnyshri@sancharnet.in

उत्तरप्रदेश

सुश्री अरूधंती धुरू
ए– 893, इन्द्रा नगर, लखनऊ– 226016
फोन नं. 0522– 2347365, मो. 09415022772
ई–मेल : arundhatidhuru@gmail.com

डॉ. प्रदीप भार्गव
जी.बी. पंत
सोशल साईंस इन्स्टीट्यूट
झूसी इलाहाबाद – 211019, उत्तर प्रदेश
फोन नं. 0532– 2569214
ई–मेल : pradeep@gbpssi.org.in

पश्चिम बंगाल

सुश्री अनुराधा तलवार
1, शिवताला रोड़
महेश्वरपुर, बादु, कोलकाता– 700128
फोन नं. 033– 24382064
ई–मेल : jsanghaati@gmail.com

आंध्र प्रदेश

श्री एन कोदनदरम्
एसोसिएट प्रोफेशर,
डिपार्टमेंट ऑफ राजनीतिक विज्ञान
उस्मानिया यूनिर्वसिटी– 12–13–578,
नागार्जुन नगर तरनाका, सिकन्दराबाद– 500017
फोन : 040–27175353, मो. 9848387001
ई–मेल : kodandram2003@yahoo.com

प्रोफेसर रमा एस मलकोटे
बी–156, सैनिक पुरी सिकन्दराबाद– 500019
ई–मेल : hyd2_melkote@sancharnet.in

नई दिल्ली

डॉ. वन्दना प्रसाद
ई–348, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली– 110048
एल–91, सेक्टर 25, नोयडा, उत्तरप्रदेश–201301
मो. 09891552425
ई–मेल : chaukhat@yahoo.com

श्री जे.पी. मिश्रा
मो. 09899315900
ई–मेल : jaypmishra@gmail.com

हिमाचल प्रदेश

सुश्री सी.पी. सुजाया
पाईन ब्रीस, स्ट्राबेरी हिल, छोटा शिमला, शिमला–2
फोन : 0177– 2622219, 2621860
मो. 09891552425
ईमेल : cpsujaya@sancharnet.in

कर्नाटक

श्री एस. आर. हीरेमत
आशादीप, जय नगर क्रॉस
सप्तापुर, धारवाड़– 580001
फोनः 0836– 2777430, 2774472,
मो. 09448916010
ई–मेल : sr_hiremath@rediffmail.com

सुश्री सत्यश्री
एस–3, श्री लक्ष्मी निवास 0/1, चौथ चौराहा
विश्वेश्वरैया ले–आउट, सी.एन. हिल्स, आर.टी.
नगर, पोस्ट–बैंगलोर– 560032
फोनः 080– 23543214 (नि), मो. 09980854766
ई–मेल : sathyasree@gmail.com

श्री क्लिंफ्टन डी रोजारियो
अल्टरनेटिव लॉ फोरम, 122/4, इन्फेन्ट्री रोड,
इन्फेन्ट्री शादी हाल के सामने, बैंगलोर– 560001
मो. 09448135832
ई–मेल : clifton@altlawforum.org

तमिलनाडु

डॉ. वी. सुरेश
हुसैन हाउस, द्वितीय तल, 7/1,
कोन्डी चेट्टी स्ट्रीट चेन्नई–600001
फोनः 044–2392459/25392464
ई–मेल : rights@vsnl.net

दैनिक भास्कर

15/12/2010

घर में प्रसव तो जननी को 'सुरक्षा' नहीं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं

दैनिक भास्कर

ढाई सौ करोड़ खर्च फिर भी 50% बच्चे कुपोषित

क्या है वजह

hindustantimes

11 Dec 2010

'Malnourished children's treatment should be left to astrologers' opinion'

Panel report quotes child rights commission chief; Sheela denies

...My suggestion is to appoint a Brahmin priest in each of these centres and require the priest to verify the horoscope of every child brought to the centre.

htlive BHOPAL DECEMBER 27, 2010

12.14 am 9.8°C

1.14 am 9.8°C

Left in cold

State govt fails to provide shelters to the homeless

Only 10 night shelters in state against 57 required

HUNDREDS SLEEP ON ROADS

NIGHT SHELTERS IN MP

At the time of scouting investments

Poverty growing in MP: Tendulkar panel report

Planning Commission background document shows calorie consumption in rural MP consistently declining

CHANGING STATS

दैनिक भास्कर

www.dainikbhaskar.com

MP betters record, but on...

Continued from page 1

In fact, most of the states with high IMRs have recorded four points decrease compared to last survey duration (2008), suggesting better effort on their part. These states include Bihar, where the IMR has dipped from 56 to 52, Rajasthan - from 63 to 59 and Uttar Pradesh - from 67 to 63.

Health Secretary SR Mohanty however looks at the statistics positively. "This is the first time

SENSATIONAL...

Sources said there were three persons who had entered the house. After threatening the family members, they had asked for the locker's key but when they didn't get it, the burglars broke it open with a rod and collected ornaments and cash.

They had shut the family members in a room before leaving. Subsequently, the neighbours were called and in the morning, the police were informed.

While the police said the value

प्रदेश में बीपीएल को लगा रिश्वत का घुन, राशन के लिए 57% वर्ग देनी पड़ती है रिश्वत

घूस देकर पेट भर रहे गरीब

खाद्य राज्य मंत्री पारस जैन से तीन सवाल

17%

hindustantimes

4-2-11

MP betters record, but still tops the list

INFANT MORTALITY RATE

WORST PERFORMERS			
STATE	IMR 2008	IMR 2009	DROP POINTS
MADHYA PRADESH	70	67	3
ORISSA	69	65	4
UTTAR PRADESH	67	63	4
ASSAM	64	61	3
RAJASTHAN	63	59	4
CHHATTISGARH	57	54	3
BIHAR	56	52	4
HARYANA	54	51	3
INDIA	53	50	3

COMPARATIVE IMRS OVER THE YEARS		
YEAR	MP	ORISSA
2003	82	83
2004	79	77
2005	76	75
2006	74	73
2007	72	71
2008	70	69
2009	67	65

BHOPAL: The state has managed to reduce the number of deaths of children below the age of one year, but this has not helped it shed the dubious distinction of having the highest Infant Mortality Rate (IMR) in the country.

The latest Sample Registration System (SRS) report for year 2009 released recently by the Registrar General of India (RGI) shows that the IMR of the state has gone down from 70 per 1000 live births (PTLB) to 67 per 1000 live births. This means that as compared to previous year, the number of children dying within a year of their birth has reduced by three per thousand live births.

However, Madhya Pradesh continues to be the state with the highest IMR in India, followed by Orissa, which has recorded IMR of 65. Orissa had the worst IMR in country till 2003 at 83 PTLB while MP had IMR of 82. In 2004, MP recorded IMR of 79

that recorded 77 PTLB. Since then, MP has continued to be worst performer in the country.

As for the national level figures, the IMR has gone down to 50 PTLB from 53 PTLB recorded in year 2008. IMR is one of the major development indices that showcase the efforts of the states in improving the living conditions of its citizens.

For 2009, Orissa has managed to decrease its IMR by four points (from 69 to 65 PTLB), compared to three points decrease by MP. Thus the difference of IMR between the two states, which used to be just one point during previous years, has increased to two points.

The level of average calorie consumption dropped to 2022 (1983), 1951 (1993-94), 2002 (2004-05) and in 1929 Calories in 2004-05.

"It means an individual in rural Madhya Pradesh is not in a position to access the minimum energy requirement" says Sachin Jain, a social researcher and state advisor to the commissioners of the Supreme Court in Right to Food case.

It is interesting to note that supporting data used by the Expert Group set up by the Planning commission itself shows that in MP, 90.35 % population in rural area is living at consumption of less than prescribed 2400 Calories and 64.52% urban population in less than 2100 calories, the prescribed level of calories.

क्या आप जानते हैं?

देश में प्रदेश की स्थिति

- शिशु मृत्यु दर में प्रथम स्थान पर है। यहाँ शिशु मृत्यु दर 67 प्रति हजार है (एसआरएस 2009)।
- पाँच वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु दर 94.2 प्रति हजार है (एसआरएस 2009)।
- शहरी शिशु मृत्यु दर 45 के साथ चतुर्थ स्थान पर। (एसआरएस 2009)
- 60 प्रतिशत बाल कुपोषण के साथ प्रथम स्थान पर। (एनएफएचएस 3)
- मातृ मृत्यु दर 335 के साथ चतुर्थ स्थान पर। (एसआरएस 2006)
- 15–49 वर्ष की 18.9 प्रतिशत महिलाओं के गंभीर कुपोषण (बीएमआई 17 से कम) के साथ तृतीय स्थान पर। (एनएफएचएस 3)
- गर्भवती महिलाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली पूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल में 7.2 प्रतिशत के साथ नीचे से पाँचवे स्थान पर।
- प्रदेश की 66.5 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। (डॉ. सक्सेना समिति की रिपोर्ट)
- प्रदेश की 53.6 प्रतिशत ग्रामीण एवं 35.1 प्रतिशत शहरी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। (तेन्दुलकर समिति की रिपोर्ट)
- प्रदेश में केन्द्र सरकार के अनुसार 41.25 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। जबकि राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 67 लाख है। (सूचना का अधिकार)
- म.प्र. में पिछले 10 वर्षों में 12455 किसानों ने आत्महत्या की है। (एनसीआरबी)
- समेकित बाल विकास योजना की पहुँच केवल 53 प्रतिशत बच्चों तक। (महिला बाल विकास विभाग)
- राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना / जननी सुरक्षा योजना का लाभ केवल 3.6 प्रतिशत महिलाओं को दिया जा रहा है। (स्वास्थ्य विभाग वेबसाईट)
- शहरी बेघरबारों के लिये 57 आश्रय गृहों की जरूरत है जिसमें से केवल 11 संचालित हैं। (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

यूं ही नहीं

यूं ही नहीं छिड़ जाती है जंग

यूं ही नहीं पिघलने लगते हैं ग्लेशियर

चित्र भी केवल रंगों से नहीं उकेरे जाते हैं,

कुछ तो होता है जो जड़ों को खोखला करके

गिरा देता है बरगद को,

अपने आप नहीं कांपने लगती है धरती,

रस्ते चलते यूं ही नहीं काटने लगते हैं कुत्ते ,

भूख भी नहीं पसर जाती है ऐसे ही,

अब तुम्हारे वायदों को सुन कर खौलने लगता है मेरे भीतर खून,

हमनें तुम्हें माना था अपना नुमाइंदा

और तुमने हमें थमा दी नाउम्मीदी की तलवार

कोई तो बात है कि तुम्हें धकेल कर आगे बढ़ रहा है

अविश्वास का सैलाब!

ISBN- 978- 81- 908302- 9- 4